



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 06 अप्रैल, 2026 / 16 चैत्र, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-7030-34.—क्योंकि विभाग में जिला किन्नौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
04-राजपत्र/2026-06-04-2026 (441)

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला किन्नौर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला किन्नौर, को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला किन्नौर, को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला किन्नौर, के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला किन्नौर, की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास खण्ड निचार						
1.	चगांव	1. धार्मलिंग 2. माशग 3. जनकपुरी 4. रागमें 5. रिशल 6. टापरी 7. तिसमेदाग	जनकपुरी	1. टापरी 2. जनकपुरी 3. रिशल 4. तिसमेदाग	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा चगांव में रहेंगे।	—
2.	कटगांव	1. कटगांव 2. शांगो 3. दुतरंग 4. कानगरंग 5. बई	शांगो	1. शांगो 2. दुतरंग 3. कानगरंग	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा कटगांव चगांव में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (1)3/2024-7042-49.—क्योंकि विभाग में जिला सिरमौर के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1)व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला सिरमौर को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सिरमौर के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र 0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड राजगढ़						
1.	कोटला बांगी	1. धारपभेच 2. कडौली 3. शनाई कुनीसेर 4. कोटलाबांगी 5. धनियासैर 6. संगठारा 7. सलेचद्राबला 8. जालग जधेड़	कडौलीदोची	1. धारपभेच 2. कडौली 3. शनाई कुनीसेर 4. कुफरमटलोड़ी 5. लेऊनाना	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों धारपभेच, कडौली व शनाई कुनीसेर को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा कोटला बांगी में रहेंगे।	
2.	डिब्वर	1. कुफर मटलोड़ी 2. कलियांपाब 3. डिब्वर 4. लेऊनाना			कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों कुफर मटलोड़ी व लेऊनाना को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा डिब्वर में रहेंगे।	
विकास खण्ड संगड़ाह						
3.	सांगना	1. गाता-मंडवाच 2. सांगना	गाता धार (मुख्यावास स्थित मण्डवाच)	1. गाता-मंडवाच	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सांगना में रहेंगे।	
4.	भाटगढ़	1. भाटगढ़ 2. चाडना 3. कान्डो हरयास 4. बान्दल सुराख	चाडना	1. चाडना 2. कान्डो हरयास	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भाटगढ़ में रहेंगे।	

5.	भवाई	1. भवाई 2. सैल	कुफर-कैथू	1 कुफर-कैथू (राजस्व गांव भवाई का उप ग्राम) हदबस्त नं0 142, खसरा नं0 3100 से 3992 3994 से 4019, 4023 4025 से 4027, 4029 4031 से 4034, 4037, 4041, 4046, 4047, 4049 से 4051, 4053 से 4057, 4059 से 4079, 4081 से 4094, 4096, 4097, 4099 से 4102, 4104, 4107, 4108, 4010 से 4123, 4125 से 4129 4132 से 4134, 4136, 4138 से 4140, 4142, 4144 से 4148, 4145 से 4154, 4156 से 4160, 4162 से 4216, 4222 से 4689 तक	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भवाई में रहेंगे। हदबस्त नं0-142 खसरा नं01 से 3099, 4109, 4124, 4147, 4149, 4031 4087, 4058, 4095, 4098, 4881/4149, 4081, 4084, 4090, 4130, 4155, 4161, 4020, 4021, 4022, 4028, 4097, 4137, 4139, 4067, 4094, 4105, 4135, 4020, 4221, 4758/3993, 4759/3993, 4024, 4030, 4035, 4036, 4038, 4043, 4048, 4052, 4103, 4106, 4131, 4140, 4141, 4143, 4219, 4217, 4218, 4040, 4042, 4044, 4045,
विकास खण्ड नाहन					
6.	कालाअम्ब	1. मोगीनंद 2. जोहड़ों 3. रामपुरजटान 4. ओगली 5. नगलसुकेती	1. मोगीनंद 2. नगलसुकेती	1. मोगीनंद 1.नगलसुकेती	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा काला अम्ब में रहेंगे।
7.	मात्तर	1. नलका 2. भगतावला 3. अगडीवाला 4. ढाकड़ावाला 5. नलीवाला 6. सम्भालका 7. मात्तर 8. भेड़ो	नलका	1. नलका 2. भगतावला 3. अगडीवाला 4. ढाकड़ावाला 5. नलीवाला 6. सम्भालका	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा मात्तर में रहेंगे।
8.	नाहन	1. आवलीवाला गाड़ा 2. खजूरना 3. कोटड़ी 4. मझौली 5. धाराक्यारी 6. सिम्बलवाला	नाहन-II (मुख्यावास स्थित खजूरना)	1. आवलीवाला गाड़ा 2. खजूरना 3. कोटड़ी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा नाहन में रहेंगे।
विकास खण्ड शिलाई					
9.	बान्दली	1. बागना 2. बान्दली 3. सियासु	सियासू	1 बागना 2 सियासु	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बान्दली में रहेंगे।

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (1)3/2024-7035-41.—क्योंकि विभाग में जिला सोलन के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला सोलन को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला सोलन को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला सोलन के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला सोलन की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड कण्डाघाट						
1.	ममलीग	1. कमल्याड 2. काकड़ा 3. कायसू 4. चनोड 5. चपला 6. छाछी 7. जंगल ढयावला 8. जखडीयू 9. ढयावला 10. तेली 11. थान 12. डूह 13. नेरी 14. बकेसू 15. बशील	बशील	1. जंगल ढयावला 2. जखडीयू 3. ढयावला 4. तेली 5. थान 6. डूह 7. नेरी 8. बकेसू 9. बशील 10. बशोल 11. मतिमू 12. महोग 13. चनोड	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा ममलीग में रहेंगे।	

		16. बशोल 17. भोला 18. मतिमू 19. ममलीग 20. महोग 21. शिवशंकरगढ़ 22. सनेट				
विकास खण्ड कुनिहार						
2.	धुंधन	1. धुधन 2. दांव 3. चमाकड़ी 4. डूगनु 5. डुगनिहार 6. घयाणा 7. म्याणा 8. पलैनी 9. गोहर 10. स्यारी 11. पसलवाला 12. पसलजेरी 13. बेमु भलेड़ा 14. बेमु भांगड़ा 15. घरटुरी 16. एर 17. टुईरू	1. टुईरू 2. चमाकड़ी	1. टुईरू 2. घरटुरी 3. एर 4. बेमु भलेड़ा 5. बेमु भांगड़ा 1. चमाकड़ी 2. दांव 3. डूगनु 4. डुगनिहार 5. घयाणा 6. रणोह खालसा	ग्राम सभा धुंधन के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा धुधन में रहेंगे।	-
3.	हनुमान बडोग	1. बडोग हनुमान 2. नांवा 3. मंधोवटी 4. डम्लाना वाला 5. डम्लाना जेरी 6. जंगल मनलोग 7. बटेड 8. मानण 9. रणोह शासन 10. रणोह खालसा 11. गंदेवटा 12. बहल 13. रिहाल 14. कोटला			प्रस्तावित ग्राम सभा चमाकड़ी में सम्मिलित गांव रणोह खालसा को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम सभा हनुमान बडोग में रहेंगे।	
4.	भूमती	1. नगरवाड 2. बजिउन 3. सोयली 4. जेखडी 5. भूमती 6. सोथी 7. पखरेड 8. शांगली 9. सल्याट	1. जमरोटी स्थित चुनाड ब्राहमणा	1. नगरवाड 2. बजिउन 3. सोयली 4. जमरोटी 5. चुनाडब्राहमणा 6. चुनाड कनैता 7. लोहारा 8. धैनी 9. इकवा कनैता	ग्राम सभा भूमती के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भूमती में रहेंगे।	

		<ol style="list-style-type: none"> 10. रिहावन 11. डाडल 12. रामपुर 13. कोटलु 14. जमरोटी 15. चुनाडब्राहमणा 16. चुनाड कनैता 17. लोहारा 18. धैनी 19. इकवा कनैता 20. इकवा ब्राहमणा 21. बडमल 		<ol style="list-style-type: none"> 10. इकवा ब्राहमणा 		
			2. डाडल	<ol style="list-style-type: none"> 1. रिहावन 2. डाडल 3. रामपुर 4. कोटलु 		
विकास खण्ड नालागढ़						
5.	चमदार	<ol style="list-style-type: none"> 1. सवासन 2. चमदार 3. ननोवा 4. कियारी 5. बिटठन 6. चंगर घुमारा 7. बाल 8. निसल 9. निहारी 10. मनलांग खुर्द 11. घाट 12. दलछाम्ब 13. पटटा 14. रौडी 15. कटटल 16. जगेड 	दलछाम्ब	<ol style="list-style-type: none"> 1. घाट 2. दलछाम्ब 3. पटटा 4. रौडी 5. कटटल 6. जगेड 	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा चमदार में रहेंगे।	
6.	बरुणा	<ol style="list-style-type: none"> 1. बरुणा 2. माजरा 3. घरोटी 4. रायपुर 5. रख रायपुर 6. मलवाला उपरली 7. कोटला कलां 8. फलाही 9. मलवाला निचली 	कोटला कलां	<ol style="list-style-type: none"> 1. कोटला कलां 2. फलाही 3. मलवाला निचली 	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बरुणा में रहेंगे।	
7.	सेर बनेड़ा	<ol style="list-style-type: none"> 1. सेर बनेड़ा 2. बागड 3. नेहर कंला 4. बडोग 5. शरण बोना 6. तिरमली 	धार-बखूना (बखूना)	<ol style="list-style-type: none"> 1. शरण बोना 2. तिरमली 3. धार 4. नगाली 5. शिगर 6. बखुना 	प्रस्तावित ग्राम सभा धार-बखूना में सम्मिलित गांव शरण बोना व तिरमली को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सेर बनेड़ा में रहेंगे।	

8.	शमरोड	<ol style="list-style-type: none"> 1. धार 2. बदलेच 3. कोठी 4. आम्बड 5. धर्जा 6. कलोड 7. कूहर खाल्टू 8. पाजो 9. सनावल 10. ढाको 11. शेवला ब्राटी 12. शमरोड 		7. लखड़ांजी	प्रस्तावित ग्राम सभा धार-बखूना में सम्मिलित गांव धार को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शमरोड में रहेंगे।
9	मशीवर	<ol style="list-style-type: none"> 1. नगाली 2. शिगर 3. बखुना 4. लखड़ांजी 5. कढारी कलां 6. कोटला 7. गटूल 8. गडखोला 9. जलकड़ा 10. डवारली 11. तवातलाडा 12. द्रायना 13. फागो 14. बस्सी 15. बायला 16. भाजो 17. मनूह टिकरी 18. मशीवर 19. रावी 20. लुगासन सिहारडी 21. लायन 22. शुन्नू टिकरी 23. सेर चिराग 24. शील शमलोग 25. कढारी खुर्द 			प्रस्तावित ग्राम सभा धार-बखूना में सम्मिलित गांव नगाली, शिगर, बखुना व लखड़ांजी को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा मशीवर में रहेंगे।
विकास खण्ड पट्टा					
10.	बाड़िया (पट्टा)	<ol style="list-style-type: none"> 1. घ्याण 2. टिककर जाबल 3. समलोग 4. पपलोग 5. जोहड़जी 6. भभौरी 7. नेहल 8. मरीउ 9. ढाब 	1. घ्याण	<ol style="list-style-type: none"> 1. घ्याण 2. टिककर जाबल 3. समलोग 4. पपलोग 5. जोहड़जी 6. भभौरी 7. नेहल 8. मरीउ 9. ढाब 	ग्राम सभा बाड़िया (पट्टा) के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम को छोड़ कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बाड़िया (पट्टा) में रहेंगे।

		<ol style="list-style-type: none"> 10. बरोटा 11. मुल्हाड़ी 12. चयोग 13. बटोली 14. खड़ली 15. दौंग 16. पंजली 17. बूटाइला 18. बोडनी 19. बढेरी 20. सकराला 21. खलग 22. मदफल 23. माजरा 24. प्रतापपुर 25. पटटा 26. बाड़िया 27. कौंटा पारला 28. कौंटा वारला 29. वरागु 30. कांसल 31. जंगल खलग 32. जंगल कांसल 33. जंगल शुक्ल 34. धारडू 35. थापल 		<ol style="list-style-type: none"> 10. बरोटा 11. मुल्हाड़ी 12. चयोग 13. बटोली 14. खड़ली 15. दौंग 16. पंजली 17. बूटाइला 18. कन्जयारा 19. जतावन 20. जमराहड़ा 21. पनाथरी 22. भोगपुर 23. शिमल पानी 24. शेरटा 	
11.	गोयला	<ol style="list-style-type: none"> 1. अम्बोटा 2. कन्जयारा 3. काटल ब्राहाणा 4. गोयला 5. जतावन 6. जुब्बड़ 7. जमराहड़ा 8. पनाथरी 9. फावगला 10. बढल 11. बढदु 12. बलोटा 13. भोगपुर 14. शेरला 15. शिमल पानी 16. सुआ 		<p>ग्राम सभा गोयला के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा गोयला में रहेंगे।</p>	

		17. शेरटा 18. बजताणा				
12.	दाड़वा	1. कन्दरयाड़ 2. कामली 3. खान्नाड 4. खेची 5. खेरटू घाट 6. च्याली 7. जतरोग 8. डलियां 9. डूह 10. ढांगरी की सेर 11. ढाब 12. तंरगाला 13. तिमली 14. दघोटा 15. दाडत 16. दाडवा 17. धार 18. धार जोखडी 19. धौला 20. बनलगी 21. बरला 22. बरोड 23. बागी 24. बेपड 25. भीवां 26. मरहेटा 27. रौडी 28. शन 29. शावली बाग 30. सालन 31. सुनाडी	तंरगाला	1. कामली 2. खेची 3. डलियां 4. डूह 5. ढांगरी की सेर 6. तंरगाला 7. दघोटा 8. दाडत 9. धार 10. धार जोखडी 11. धौला 12. बरला 13. बागी 14. बेपड 15. भीवां 16. सालन	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा दाड़वा में रहेंगे।	
13.	पटटानाली	1. नालग 2. माहली 3. धार 4. नारा 5. भौण 6. मदफल 7. दावली 8. कथलोह 9. धर 10. विधि 11. गुरदासपुरा 12. नसेरी 13. केनथा 14. चडीयार 15. खरोटा 16. कुनाना 17. चेओटा 18. रूहावा	चडीयार	1. विधि 2. गुरदासपुरा 3. नसेरी 4. केनथा 5. चडीयार 6. खरोटा 7. जुमलापुर	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पटटानाली में रहेंगे।	

		19. सलगा 20. मझेड 21. परोल 22. बालमु 23. जुमलापुर				
--	--	---------------------------------------------------------------	--	--	--	--

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 12 मार्च, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-11964-70.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-3/2022-भाग-1 दिनांक 10-03-2026 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन संलग्न अनुसूची अनुसार ग्राम पंचायत टब्बा के क्षेत्रों को नगर निगम ऊना, जिला ऊना में सम्मिलित किया गया है;

इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगम ऊना में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उनपर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला ऊना, विकास खण्ड ऊना की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत टब्बा के सम्बन्धित क्षेत्रों को ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

“अनुसूची”

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/आंशिक	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/मौजा का नाम	खसरा नम्बर व क्षेत्र फल जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10-03-2026 में विनिर्दिष्ट है।
1	2	3	4	5	6
1.	टब्बा	आंशिक	भड़ोलियां कला	जलगां	कुल खसरा नम्बर: 916
2.	टब्बा	आंशिक	भड़ोलियां कला	टब्बा	कुल खसरा नम्बर: 393

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-6913.—क्योंकि विभाग में जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला मण्डी को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड गोहर						
1.	नौण	1. बैहरी 2. नौण 3. पठान 4. कोट 5. बरजोहडू 6 फंग्यार 7. डी0पी0एफ0 ओडी	कोट	1. कोट 2. फंग्यार 3. डी0पी0एफ0 ओडी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा नौण में रहेंगे।	—

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 12 मार्च, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-11956-63.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-5/2025 दिनांक 10-03-2026 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन संलग्न अनुसूची अनुसार ग्राम पंचायत अढ़ाल, करालश, बराड़ा- शरोग, समोली व सीमा रण्टाडी के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों को नगरपालिका परिषद रोहडू, जिला शिमला में सम्मिलित किया गया है;

इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगरपालिका परिषद रोहडू, में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, विकास खण्ड रोहडू की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत अढ़ाल, करालश, बराड़ा- शरोग, समोली व सीमा रण्टाडी के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों से अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

"अनुसूची"

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/आंशिक	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/मौजा का नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	अढ़ाल	आंशिक	गंगटोली	गंगटोली देहात	खसरा नम्बर व क्षेत्र-फल जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10-03-2026 में विनिर्दिष्ट है।
2.	करालश	आंशिक		पावली	
3.	करालश	आंशिक		अणु	
4.				बराड़ा	
5.	बराड़ा-शरोग	आंशिक	रोहडू	बखीरना	
6.	समोली	आंशिक	जखार	जखार	
7.	सीमा-रण्टाडी	आंशिक	रोहडू	कुट्टू	

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 12 मार्च, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-11948-55.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू0डी0-ए0 (1)-4/2016 दिनांक 10-03-2026 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश

नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन संलग्न अनुसूची अनुसार ग्राम पंचायत सिहल, मधावनी व करेवती के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों को नगर पंचायत नारकंडा, जिला शिमला में सम्मिलित किया गया है;

इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत नारकंडा, में सम्मिलित किए जाने बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला, विकास खण्ड नारकंडा की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत सिहल, मधावनी व करेवती के सम्बन्धित क्षेत्रों को ग्राम सभा क्षेत्र से अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

"अनुसूची"

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/आंशिक	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/मौजा का नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सिहल	आंशिक	नारकंडा	कोन्थरू	खसरा नम्बर व क्षेत्रफल जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10-03-2026 में विनिर्दिष्ट है।
2.	मधावनी	आंशिक	मधावनी	डी०पी०एफ० निहारी	
3.	करेवती	आंशिक	करेवती	डी०पी०एफ० चिचड	

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 12 मार्च, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (3)36/96-11941-47.—यह कि प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: यू०डी०-ए० (1)-1/2025 दिनांक 10-03-2026 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का राज्य अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन संलग्न अनुसूची अनुसार ग्राम पंचायत बीड, चौगान, गुनेहड़ व क्यारी के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों को सम्मिलित कर नगर पंचायत बीड, जिला कांगड़ा का गठन किया गया है;

इस बाबत शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत बीड के गठन बारे प्रस्तावित स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों से नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और तदनुसार उनपर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कांगड़ा, विकास खण्ड

बैजनाथ की संलग्न अनुसूची अनुसार विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत बीड, चौगान, गुनेहड़ व क्यारी के सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों को अपवर्जित (exclude) करने के आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

"अनुसूची"

क्र० सं०	ग्राम पंचायतों के नाम	पूर्णतः/आंशिक	पटवार वृत्त का नाम	मोहाल/मौजा का नाम	खसरा नम्बर व क्षेत्र फल जो शहरी विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 10-03-2026 में विनिर्दिष्ट है
1	2	3	4	5	6
1.	बीड	पूर्णतः	बीड	बीड खास	1736
2.	चौगान	पूर्णतः		चौगान	1212
3.	गुनेहड़	पूर्णतः		कोटली	1268
				गुनेहड़	2637
				बिल्लिंग	600
	क्योरी	आंशिक	क्योरी	क्योरी	1003
				सूजा	968
				वाड़ी	638
				घोड़नाला	753
				समियाला	ग्राम सभा क्योरी के समियाला (बे-चिराग) गांव को साथ लगती ग्राम पंचायत संसाल में सम्मिलित किया जाता है

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-7055-65.—क्योंकि विभाग में जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त जिला शिमला को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला शिमला को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड बसंतपुर						
1.	बसंतपुर	1. बसंतपुर 2. तरोर 3. पनेहरा 4. नालटु 5. कदोग 6. टमरोडू 7. मंडयालू 8. मजेलू 9. जांडर 10. कलवी 11. नडूखर 12. कमलाडूंगरी 13. एम्बरी 14. जंगल एम्बरी 15. जंगल देहात	मंडयालू (मुख्यावास कदोग)	1. मंडयालू 2. मजेलू 3. जांडर 4. कलवी 5. कदोग 6. टमरोडू	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बसंतपुर में रहेंगे।	
विकास खण्ड टुटू						
2.	धमून	1. धमून 2. डढोल 3. खडून 4. खायरी 5. खलग 6. झाकडी 7. शिल्ली 8. रोडी 9. पनवेला 10. कलिमु 11. जदैनी 12. बघली 13. भवाणा	कोटीधार (मुख्यावास बघली)	1 शिल्ली 2 बघली 3 जदैनी 4 कलिमु	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा धमून में रहेंगे।	—

विकास खण्ड त्रियोग						
3.	केलवी	1.केलवी 2. वाईला 3. जदून 4. चिवडी 5. बडेवग 6. बडैणा 7. शडैच 8. गडाह 9. रोणी चदारा 10. जंगल नरैयटी 11. जंगल पनैली 12. जंगल झालरू कलाडी	गडाह (मुख्यावास गडाह कुफरी)	1. बडेवग 2. बडैणा 3. गडाह 4. रोणी चदारा 5. जंगल नरैयटी 6. जंगल पनैली 7. जंगल झालरू कलाडी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा केलवी में रहेंगे।	
विकास खण्ड रोहडू						
4.	अढाल	1. अढाल 2. बटाडी (राजस्व गांव अढाल का उप-ग्राम) 3. काण्डा 4. वाउटीनाला 5. अनटापु 6. डी0पी0फ0 अढाल 7. गंगटोली	अनटापु-बटाडी	1. अनटापु 2. बटाडी (राजस्व गांव अढाल का उप-ग्राम)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा अढाल में रहेंगे।	
5.	खगटेडी	1. डी0पी0एफ0 केवली 2. रेहडी 3. पेखाधार 4. डी0पी0एफ0 बजैशल 5. बजैशल 6. केवली 7. डी0पी0एफ0 खगटेडी 8. डी0पी0एफ0 ककोई वास 9. ककोई 10. कन्दरोड़ा	केवली (सुन्दरनगर)	1. डी0पी0एफ0 केवली 2. रेहडी 3. पेखाधार 4. डी0पी0एफ0 बजैशल 5. बजैशल 6. केवली	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा खगटेडी में रहेंगे।	
6.	टिक्कर	1. खांगटा 2. गुजांदली 3. दरोटी 4. शेखल 5. थाना 6. थानाबाग	दरोटी-गुजांदली (दरोटी पानु)	1. दरोटी 2. गुजांदली	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा टिक्कर में रहेंगे।	

		7. कशैनी 8. डी0पी0एफ0 कशैनी				
विकास खण्ड छौहारा						
7.	शिलादेश	1. गजयानी 2. शिलादेश 3. थलाथर 4. लडोट	धमवाडी	1. गजयानी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शिलादेश में रहेंगे।	
8.	गांवसारी	1. मकटोट 2. हौंचली 3. हडवाणी 4. डी0पी0एफ0 हडवाणी 5. राउसी 6. गोस्कवाडी 7. गांवसारी 8. अटगांव	मकटोट-हौंचली	1. मकटोट 2. हौंचली 3. हडवाणी 4. डी0पी0एफ0 हडवाणी 5. देसोरी उपगांव 6. शौयर उपगांव	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा गांवसारी में रहेंगे।	
9.	कलोटी	1. बढुआ 2. शारकुली 3. कलोटी 4. झटवाड़ी 5. भटवाडी 6. डी0पी0एफ निरजा	भटवाडी-झटवाड़ी (मुख्यावास भटवाडी)	1. झटवाडी 2. भटवाडी 3. डी0पी0एफ निरजा	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा कलोटी में रहेंगे।	
विकास खण्ड कुपवी						
10.	कुलग	1. कुलग 2. टिक्कर 3. सामुवी	टिक्कर	1. टिक्कर 2. सामुवी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा कुलग में रहेंगे।	
विकास खण्ड चौपाल						
11.	पौड़िया	1. बुडच 2. जंगल आरवा 3. जंगल चिल्ला 4. रान्ची 5. धरान्दली 6. धवान्दली 7. क्यारनू 8. सरांह 9. जंगल सरांह 10. कोटी	लच्छोग	1. लच्छोग 2. खिलार 3. जंगल खिलार 4. जंगल दाछ 5. दाछी 6. जंगल रानश	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा पौड़िया में रहेंगे।	

		11. गस्टाडी				
		12. जंगल अमराल				
		13. जंगल पनाहच				
		14. लच्छोग				
		15. दाछी				
		16. जंगल दाछ				
		17. खिलार				
		18. जंगल खिलार				
		19. जंगल रानश				

आदेश द्वारा,

सचिव (पंचायती राज)।

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Vidyut Aayog Bhawan, Block No. 37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009
 Tel No.0177-2627263, 2627907 Fax.No.0177-2627162
 E-mail: secy-hperc@hp.gov.in Website: www.hperc.org

NOTIFICATION

Dated, the 2nd April, 2026

No. HPERC/Secy/610A/Vol.VIII/2020-41-49.—In exercise of powers vested under the provisions of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievances Redressal Forum and Ombudsman) Regulations, 2013 as amended from time to time, the HP Electricity Regulatory Commission hereby nominate Er. Madan Lal Dhiman (**D.O.B-22-04-1966**) as the Independent Member of the Forum for Redressal of Grievances of HPSEBL Consumers (CGRF), located at Kasumpti, Shimla.

As per the provisions of the aforesaid Regulations, the nomination of Er. Madan Lal Dhiman will be for three (3) years from the date on which he takes over as such or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

The salary and allowances shall be as per the provisions notified under HPERC (Salary and Allowances of the nominated Independent Members of the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Order, 2013 as amended from time to time.

By order of the Commission,

Sd/-
 (ANIL KUMAR SHARMA, HAS),
 Secretary.

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-7019-24.—क्योंकि विभाग में जिला कुल्लू के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (1)व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला कुल्लू के निम्न अनुसूची में वर्णित वर्तमान ग्राम सभा का विभाजन/पुनर्गठन कर नई ग्राम सभा का गठन/स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं, और यथाअपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के ई-राजपत्र में प्रकाशित करने और उपायुक्त, जिला कुल्लू को, इस सम्बन्ध में सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं;

यदि इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो, वे अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन (3) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला कुल्लू को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् सुझाव या आक्षेप, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला कुल्लू के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/ पुनर्गठन तथा नई ग्राम सभाओं के गठन/स्थापना बारे अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त, जिला कुल्लू की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड नगर						
1	हलान-2 (वाड़ी)	1. मगाणा 2. पीह 3. मकोट 4. कार्ईन-1 5. पानकोट 6. मरझां 7. धड़िगंचा 8. शिल्ला 9. कार्ईन-2 10. वन्दल 11. तराशी 12. रंखडू 13. वाड़ी 14. जैण्डी 15. पतलीकुहल	शिल्ला हलाण (मुख्यावास शिल्ला)	1. मगाणा 2. पीह 3. मकोट 4. कार्ईन-1 5. पानकोट 6. मरझां 7. धड़िगंचा 8. शिल्ला 9. कार्ईन-2 10. वन्दल 11. तराशी	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा हलान-2 में रहेंगे।	—

2.	नसोगी (सियाल)	1. कन्याल 2. सिमसा 3. छियाल 4. वलसारी 5. नसोगी 6. सियाल	कन्याल (छियाल)	1. कन्याल 2. सिमसा 3. छियाल	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा नसोगी में रहेंगे।
विकास खण्डभून्तर					
3.	शिलीहार (नरोगी-1)	1. संगटेहड 2. वीरनी 3. नरोगी- शोरन 4. नरोगी-1 5. नरोगी-2 6. त्रैहण	शिल्लीहार-2 स्थित शैलापानी	1. संगटेहड 2. वीरनी 3. चकरिगां 4. लाहसनी 5. सलास	ग्राम सभा शिलीहार (नरोगी-1) के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शिलीहार (नरोगी-1) में रहेंगे।
4.	छेउर	1. चकरिगां 2. लाहसनी 3. छेउर 4. वडोगी 5. जछनी 6. कोट 7. सिऊड 8. कुईधार 9. चौहकी 10. सलास 11. कोटलूथाना 12. कलौनी 13. कोहन			ग्राम सभा छेउर के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा छेउर में रहेंगे।
विकास खण्ड कुल्लू					
5.	मानगढ (मुख्यावास दोधरी)	1. दोघरी 2. जकडेहल 3. क्षामद 4. पालासेरी 5. लाई धारग 6. शगोचक 7. तियून 8. समालंग 9. समाणा 10. दरीजग 11. सलातरी	तियून (मुख्यावास सलातरी)	1. तियून 2. समालंग 3. दरीजग 4. सलातरी 5. सराहन 6. कडीगचा 7. चलाह	ग्राम सभा मानगढ (मुख्यावास दोधरी) के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा मानगढ (मुख्यावास दोधरी) में रहेंगे।
6.	डुंखरी	1. सराहन 2. कडीगचा 3. चलाह 4. ग्रामंग 5. अप्पर कालंग 6. लोअर कालंग			ग्राम सभा डुंखरी के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामोंको छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा डुंखरी में रहेंगे।

		7 दुंखरी				
		8 शालंग				
		9 वगी				

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 14 मार्च, 2026

संख्या: पीसीएच-एचए (1)3 / 2024-14424-29.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)3 / 2024-11829-33,11854-58 व 11864-68 दिनांक 10-03-2026 द्वारा जिला मण्डी में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला मण्डी को इस सम्बन्ध में, आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर उपायुक्त, जिला मण्डी द्वारा विचार किया गया तथा तदनुसार उन पर आवश्यक विनिश्चय किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश की ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन/पुनर्गठन से सम्बन्धित, उपरोक्त अनुसार जारी अधिसूचना में वर्णित ग्राम सभा कुन्नु व डलाह से नई ग्राम सभा सनेहड के गठन की प्रस्तावना को निरस्त करने तथा निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित/पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा(1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड निहरी						
1.	रोहांडा	1. शारल 2. नेहरा 3. बनवाली 4. डी०पी०एफ० कथैल 5. रोहांडा 6. धार 1 7. तप्लीधार 8. लबूट 9. बनौन	चौकी	1. बनवाली 2. डी०पी०एफ० कथैल 3. ओकल 4. चौकी 5. झालगार 6. सराह धार 7. सरन 8. डी०पी०एफ झालगार	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा रोहांडा में रहेंगे।	—

	<p>10. खिल 11. चंदाकुफर 12. ओकल 13. मंझार 14. चौकी 15. झालगार 16. छिछड़ 17. सराह धार 18. सरन 19. भेभल 20. डी0पी0एफ झालगार 21. दोघरी 22. डी0पी0एफ थूआधार 23. डी0पी0एफ खाबरी 24. बुलास 25. तरजुगी 26. नेंदल 27. थाट 28. डी0पी0एफ शकोहर 29. डी0पी0एफ कुमराह 30. हलाई 31. शकोहर 32. रोआन 33. थमाडी 34. डी0पी0 एफझाबर शिल्ह 35. धार-II 36. डी0पी0 एफ भैरूमर 37. डी0पी0एफ मझोठीशिल्ह 38. डी0पी0 एफतपली धार 39. डी0पी0एफ छिछड़ 40. डी0पी0एफ भबल(B) 41. डी0पी0एफ थाच शिल्ह 42. डी0पी0एफ चन्दाकुफर</p>		<p>9. मलाधरा 10. डी0पी0 एफबनवाली 11. डी0पी0 एफ खबोडा 12. खबोडा 13. डी0पी0 एफ प्राला 14. प्राला</p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		43. डी0पी0एफ लटोगली 44. डी0पी0एफ गडैच 45. डी0पी0एफ शकोहर 46. डी0पी0एफ चबुशिल्ह 47. मलाधरा 48. डी0पी0एफ बनवाली 49. डी0पी0एफ खबोडा 50. खबोडा 51. डी0पी0एफ प्राला 52. प्राला				
विकास खण्ड चौतडा						
2.	ढेलू	1. ढेलू 2. योर 3. ढेलूहार 4. डोहग	1. योरा 2. डोहग	1. ढेलूहार 2. योर 1. डोहग	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा ढेलू में रहेंगे।	
विकास खण्ड मण्डी सदर						
3.	जनेड	1. जनेड 2. तान्दी 3. सराये 4. गनेहड	तान्दी	1. तान्दी 2. सराये 3. गनेहड	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जनेड में रहेंगे।	
विकास खण्ड द्रग						
4.	भराडू	1. भराडू 2. अलगाबाडी 3. नगदयाडा 4. भौरा 5. गडूही 6. पेटटु 7. मंढौता 8. लांघा 9. सपैडू 10. बागडू 11. डी0पी0एफ0 नैनपुर 12. डी0पी0एफ0 सिल्ह	सपैडू	1. सपैडू 2. मंढौता 3. लांघा 4. सपैडू 5. बागडू 6. डी0पी0एफ0 नैनपुर 7. नगदयाडा 8. डी0पी0एफ0 सिल्ह	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भराडू में रहेंगे।	
विकास खण्ड बल्ह						
5.	भडयाल	1. टिक्करकलां 2. मलवाना 3. भडयाल 4. खारसी (कांडीतारापुर) 5. डी0पी0एफ0	टिक्कर कलां	1. टिक्कर कलां	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा भडयाल में रहेंगे।	

6.	गलमा	1. पारगी 2. भलवाणी 3. गलमा 4. नलवाडी 5. कोटलु 6. करनेहडा	करनेहडा	1. भलवाणी 2. करनेहडा 3. कोटलु आंशिक (खसरा नं० 110 से 130 तक)	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम, ग्रामों तथा खसरा न० को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा लंगेहड में रहेंगे।	
7.	सकरोहा	1. सकरोहा 2. चतरौर	चतरौर	1. चतरौर	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सकरोहा में रहेंगे।	
विकास खण्ड धर्मपुर						
8.	डरवाड	1. डरवाड 2. छतरयाना 3. चसवाल	चसवाल	1. चसवाल 2. अनस्वाई 3. भडडू (आंशिक) खसरा नं० 1 ता 142, 217 ता 345, 143 मिन, 916 मिन, 917 ता 944, 947, 960 मिन 961 ता 1482.	ग्राम सभा डरवाड के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा डरवाड में रहेंगे।	
9.	घरवासडा	1. घरवासडा 2. गरली 3. अनस्वाई 4. भडडू			ग्राम सभा घरवासडा के कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा घरवासडा में रहेंगे।	भडडू (आंशिक) खसरा न० 144 ता 216, 143 मिन, 346 ता 915, 916 मिन, 945, 946, 948, 949, 950 ता 959, 960 मिन, ग्राम सभा घरवासडा में रहेंगे।
10.	बिंगा	1. दबरोट 2. शेरपुर 3. बिंगा 4. चाम्बी 5. ललाणा 6. सलौण	दबरोट	1. दबरोट 2. चाम्बी 3. ललाणा 4. सलौण	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा बिंगा में रहेंगे।	
11.	सधोट	1. सधोट 2. वाहरू 3. मोरतन 4. धनराशी 5. बनाली 6. रोसो	रोसो	1. रोसो	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा सधोट में रहेंगे।	
विकास खण्ड करसोग						
12.	ममेल	1. ममेल 2. सानणा	वतालादहल (मुख्यावास)	1. काणी मन्दलाह 2. वतालादहल	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को	

		3. काणी मन्दलाह 4. वतालादहल 5. कोटलू 6. लोल 7. डी0पी0एफ0 वनौणी 8. वागभलाणा	काणी मन्दलाह)		छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा मर्मेल में रहेंगे।	
विकास खण्ड सुन्दरनगर						
13.	जाम्बला	1. जाम्बला 2. घुराणा 3. ज्योर 4. पथकन	ज्योर	1. ज्योर	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों कां छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा जाम्बला में रहेंगे।	
14.	कांगू	1. कांगू 2. सरोशी 3. दयोही 4. डी0पी0एफ0 सलापड़ कांगू	दयोही	1. दयोही	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा कांगू में रहेंगे।	
विकास खण्ड गोपालपुर						
15.	रखोह	1. रखोह 2. कलोट 3. पनिहौर 4. डोडर 5. जन्दरुखुर्द 6. जन्दरुकलां	जन्दरुकलां	1. जन्दरुखुर्द 2. जन्दरुकलां	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा रखोह में रहेंगे।	
विकास खण्डगोहर						
16	शिल्हू	1. रजोट 2. बादू 3. डयोला 4. शिल्हू 5. डी0पी0एफ0 लटोगली 6. डी0पी0एफ0 नन्दगढ़ 7. नेन्धल	बादू	1. रजोट 2. बादू 3. डयोला 4. डी0पी0एफ0 लटोगली 5. नेन्धल	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर अन्य सभी ग्राम, ग्राम सभा शिल्हू में रहेंगे।	

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 15 मार्च, 2026

संख्या:पीसीएच-एचए (1)3/2024-14436-41.—यह कि विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच एचए (1)3/2024-11358-70 दिनांक 07-03-2026 के अंतर्गत ग्राम सभा अदाल से नई ग्राम सभा अनटापु- बटाडी के गठन की प्रस्तावना को निरस्त किया गया था। उक्त प्रस्तावना पर स्थानीय निवासियों के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा जनहित में पुनः विचार किया गया।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित / पुनर्गठित कर, नए ग्राम सभा का गठन कर, उनके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु, निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा का नाम तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा में शेष बचे ग्रामों के नाम	विवरण
	2	3	4	5	6	7
1- विकास खंड रोहडू						
1.	अढाल	1. अढाल 2. बटाडी (राजस्व गांव अढाल का उपग्राम) 3. काण्डा 4. वाउटीनाला 5. अनटापु 6. डी०पी०फ० अढाल	अनटापु-बटाडी (मुख्यावास बटाडी)	1. अनटापु 2. उपग्राम बटाडी (खसरा न० 1769, 1769/1, 1479, 1508, 1485, 1411, 1412, 1511, 1516, 1366, 1369, 2077/1271, 2076/1271, 1272, 1268, 1007, 1326, 1524, 1523, 1413, 1264, 1474, 1328, 1329, 1330, 1351, 1352, 1353, 1350, 1284, 1281, 1380, 1011, 1067, 1162, 1163, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1324, 1335, 1446, 714, 674, 681, 711, 1153, 1155, 1159, 1160, 1285, 1069, 1161, 1282, 1283, 678, 1299, 1300, 1302, 1336, 1349, 1356, 997, 1276, 2079/1588, 734, 744, 1010, 1154, 1165, 1286, 1322, 1536, 1549, 1550, 715, 716, 708, 720, 721, 722, 703, 704, 706, 760, 737, 740, 743, 1323, 1553, 1164, 680, 682, 683, 1070, 1274, 1557, 1552, 1186, 1273, 1292, 1298, 1301, 1535, 1118, 1122, 1690, 1694, 2008/1157, 2009/1157, 1158, 1191, 644, 645, 646, 648, 649, 1151, 1152, 707, 813, 1123, 812, 1119, 1120/1,	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम/उपग्राम के खसरा न० को छोड़कर शेष सभी खसरा न० ग्राम, ग्राम सभा अढाल में रहेंगे। विभाग की अधिसूचना दिनांक 12-03-2026 अनुसार नगर परिषद रोहडू+ में महाल/मौजा गंगटोली देहात पूर्णतः सम्मिलित होने के कारण ग्राम सभा अढाल से अपवर्जित किया गया है।	

				1157/1, 662, 670, 738, 1050, 1559, 1554, 1556, 1557, 684, 1119/1, 1120, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 663, 664, 667, 668, 782/1, 789, 854, 1117, 1121, 710/1, 709/1, 798, 1058, 884, 919, 921, 922, 923, 926, 685, 944, 947, 1036, 1061, 1150, 665, 666, 686, 922, 945, 1008, 1051, 1062, 1209, 1270, 613, 723, 724, 726, 727, 728, 1487, 1544, 1543, 725, 1853, 1854, 639, 640, 652, 1538, 1545, 635, 636, 638, 675, 713, 634, 1278, 1676, 1677, 1555, 608, 610, 1680, 574, 577, 695, 718, 881, 1082, 1650, 1073, 573, 575, 578, 696, 876, 1072, 1083, 1681, 1682, 1683, 576, 595, 717, 843, 861, 862, 863, 865, 1071, 1079, 1672, 694, 732, 733, 1084, 1671, 844, 845, 853, 719, 879, 880, 878, 592, 1639, 1640, 839, 840, 846, 847, 631, 630, 1063, 1068/1, 632, 642, 633, 643, 641, 833, 834, 835, 842, 1056, 997, 759, 687, 688, 689, 690, 699, 978, 979, 1035, 1055, 586, 588, 589, 590, 579, 1037, 580, 581, 585, 606, 607, 955, 957, 1052, 1054, 1215, 788, 817, 818, 953, 951, 786, 787, 583, 580, 1085, 1110, 1131, 1143, 1100, 1211, 1204, 1261, 1260, 1005, 1017, 1049, 1115, 1201, 1259, 1304, 1537, 1566, 1087, 1141, 1016, 1045, 1201/19, 1505, 1565, 1088, 1089, 888, 889, 747, 1155, 1248, 701, 1128, 1623, 1627, 1628, 1768, 1124, 1125, 1156, 751, 752, 753, 754, 755, 1030, 1096, 1176, 1184,		
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				1209, 758, 761, 1997, 1074, 1078, 1038, 1039, 700, 705, 1306, 1015, 885, 1099, 1203, 886, 887, 1014, 1046, 1096, 1132, 1202, 1564, 1510, 1251, 1256, 1498, 1514, 1582, 1583, 1125, 1133, 1134, 1173, 1205, 1213, 1217, 1496, 1568, 1572, 1574, 1575, 1576, 991, 1024, 1126, 1172, 1208, 1214, 1219, 1497, 1512, 1578, 1579, 1580, 1581, 1252, 1254, 1513, 691, 988, 1101, 1124, 1127, 1175, 1207, 1212, 1220, 1221, 1257, 1422, 992, 345, 1228, 1253, 836, 837, 992, 841, 995, 996, 806, 993, 998, 1139/1, 805, 807, 994, 693, 800, 801, 811, 829, 832, 1108, 1199, 771, 799, 810, 830, 1053, 1111, 1561, 698, 808, 809, 831, 1149, 1170, 1197, 1562, 999, 1048, 1000, 1047, 1054, 1107, 1113, 1136, 1137, 1147, 1171, 1200, 1560, 1042, 1109, 1142, 1148, 1198, 1570, 1169, 1571, 1573, 1139, 768, 1026, 1166, 1009, 1193, 1558, 1563, 763, 1012, 1168, 1249, 762, 1013, 1114, 1145, 1196, 765, 766, 767, 1116, 1135, 1167, 1194, 1195, 1250, 1146, 1112, 1144, 1166/1, 1569, 772, 1103, 1105, 1106, 1104, 1140, 890, 891, 1031, 1044, 1070, 1130, 1185, 1002, 1185/1, 1602, 1601, 1608, 599, 1075, 1076, 1097, 1182, 1090, 1191, 1093, 1094, 1095, 915, 917, 920, 918, 916, 750, 827, 858, 924, 1138, 1183, 902, 903, 882, 883, 815, 816, 822, 826, 825, 814, 904, 914, 855, 856, 860, 867, 866, 875, 823,		
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				824, 828, 857, 859, 972, 658, 659, 970, 1034, 1060, 1178, 1181, 1190, 870, 850, 851, 934, 1033, 1059, 1170, 1179, 1180, 1189, 1577, 1611, 1616, 556, 557, 655, 1037, 1615, 1874, 1875, 1925, 1926, 1952, 1980, 1907, 1908, 903, 935, 936, 937, 939, 940, 932, 942, 941, 938, 1906, 1909, 1943, 1979, 1920, 1921, 1927, 1944, 1973, 2018, 1894, 1951, 1990, 1991, 1986, 1987, 1988, 1989, 1912, 1911, 1910, 1999, 2002, 1911, 1928, 1984, 1982, 1983, 1921, 1924, 1922, 1915, 1950, 1456, 1961, 1453, 1873, 1916, 1917, 2004, 848, 849, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 1905, 1606, 784, 773, 2022, 676, 2017, 1588, 1996, 964, 963, 894, 791, 793, 794, 790, 795, 792, 796, 775, 776, 797, 950, 948, 958, 959, 960, 961, 949, 1607, 1612, 1608, 1619, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 892, 895, 893, 820, 821, 812, 905, 906, 907, 913, 1343, 1346, 1341, 1344, 1340, 1342, 1347, 1345, 1337, 1338, 1265, 2044, 2004, 1904, 1938, 1985, 1948, 1972, 1969, 1968, 1899, 1902, 1295, 1296, 1311, 1317, 1319, 1320, 1321, 1318, 1293, 1297, 1704, 1734, 1736, 1737, 1738, 1740, 1748, 1750, 1731, 1705, 1721, 1732, 1733, 1735, 1739, 1730, 1722, 1723, 1727, 1728, 1729, 1307, 1308, 1312, 1313, 1314, 1309, 1310, 1315, 1316, 671, 772, 1629, 1630, 1631, 673, 674, 1294, 661, 852, 854, 1780, 1829, 1831, 1830,		
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

				1833, 1832, 1486, 1548, 1567, 1585, 1603, 1604, 1613, 1614, 1804, 1827, 1834, 1836, 1621, 1632, 1876/2, 1876/1, 1617, 1620, 1243, 1280, 1448, 967, 1954, 660, 1644) कुल = 839		
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

आदेश द्वारा,
सचिव (पंचायती राज)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा
(हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 708639 / 2026

तारीख पेशी : 09-04-2026

भूरी देवी पत्नी श्री शिव राम, गांव तरमेहर, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)
वादि्या।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 37(1) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादि्या भूरी देवी पत्नी श्री शिव राम, गांव तरमेहर, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसके पति का नाम मुहाल तरमेहर पटवार वृत्त तरमेहर प्रथम, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख में भूरी देवी पत्नी श्री सांगरू दर्ज किया गया है जोकि गलत है, जबकि उसके पति का नाम वादि्या के अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड और परिवार रजिस्टर में भूरी देवी पत्नी श्री शिव राम दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त नाम है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त वादि्या के पति का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में भूरी देवी पत्नी श्री सांगरू के स्थान पर भूरी देवी पत्नी श्री शिव राम नाम दर्ज किया जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-04-2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत

में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार न होगा तथा नियमानुसार उक्त वादिया का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में भूरी देवी पत्नी श्री शिव राम नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-03-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा
(हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 708638 / 2026

तारीख पेशी : 09-04-2026

रिखी राम पुत्र श्रीमती धूपकू, गांव नलोहता, डा0 बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 37(1) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादी रिखी राम पुत्र श्रीमती धूपकू, गांव नलोहता, डा0 बड़ाग्रां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका और उसकी माता का नाम मुहाल बड़ाग्रां पटवार वक्त बड़ाग्रां तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख में रिशी पुत्र श्रीमती धोवो दर्ज किया गया है जोकि गलत है, जबकि उसका और उसकी माता का नाम वादी के अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड और परिवार रजिस्टर में रिखी राम पुत्र श्रीमती धूपकू दर्ज है, जोकि सही व दुरुस्त नाम है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त वादी का और उसकी माता का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में रिशी पुत्र श्रीमती धोवो के स्थान पर रिखी राम पुत्र श्रीमती धूपकू नाम दर्ज किए जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-04-2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार न होगा तथा नियमानुसार उक्त वादी का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में रिशी पुत्र श्रीमती धोवो उर्फ रिखी राम पुत्र श्रीमती धूपकू नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-03-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा
(हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 708640 / 2026

तारीख पेशी : 09-04-2026

साज कुमार पुत्र श्री कपूरु राम, गांव अन्दरली-महाल, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला काँगड़ा
(हि0प्र0)

... वादी ।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी ।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 37(1) भू राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत ।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादी साज कुमार पुत्र श्री कपूरु राम, गांव अन्दरली-महाल, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल अन्दरली-महाल पटवार वृत्त खड़ीमहाल तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के राजस्व अभिलेख में साजू पुत्र श्री कपूरु दर्ज किया गया है जोकि गलत है, जबकि वादी का नाम वादी के अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड और परिवार रजिस्टर में साज कुमार पुत्र श्री कपूरु राम दर्ज है, जाकि सही व दुरुस्त नाम है ।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त वादी का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में साजू पुत्र श्री कपूरु दर्ज किए जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 09-04-2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार न होगा तथा नियमानुसार उक्त वादी का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में साजू उर्फ साज कुमार पुत्र कपूरु नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे ।

आज दिनांक 13-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / -

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

**In the Court of Assistant Collector-Cum-Naib Tehsildar, Jawalamukhi, Distt. Kangra
(H.P.)-176 031**

Case No : 814236/2026

Date of Next Hearing : 08-04-2026

In the matter of :

Ashama Bibi d/o Sh. Taj Khan, r/o Mohal and Mouza Darang, Tehsil Jawalamukhi, Distt.
Kangra (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application of correction of Name Under Section 37 of Land Revenue Act, 1954.

Whreras, Ashama Bibi d/o Sh. Taj Khan, r/o Mohal and Mouza Darang, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) has submitted an application under section 37 of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Aadhar Card, PAN Card, 10th Marksheets, Parivar Nakal and Jamabandi Nakal in the court of undersigned.

Wherein she stated that, she belongs to above mentioned address. Her name is written as Ashama Khan in revenue record of Mohal Darang, Tehsil Jawalamukhi, which is wrong. Her original/correct name is "Ashama Bibi" Therefore, she requests to correct her name as "Ashama Bibi" instead of Ashama Khan in the revenue record of Mohal Darang, Tehsil Jawalamukhi, as per supportive documents enclosed by her with the application.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court on or before 08-04-2026. No Objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 12-03-2026.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

**In the Court of Assistant Collector-Cum-Naib Tehsildar, Jawalamukhi, Distt. Kangra
(H.P.)-176 031**

Case No: 709528/2026

Date of Next Hearing : 08-04-2026

In the matter of :

Onkar Singh s/o Sh. Churu s/o Khadku, r/o Mohal Katyalu, P.O. Dohag Dehrian, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public .. Respondent.

Application of correction of Name Under Section 37 of Land Revenue Act, 1954.

Whreras, Onkar Singh s/o Sh. Churu s/o Khadku, r/o Mohal Katyalu, P.O. Dohag Dehrian, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) has submitted an application under section 37 of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Aadhar Card, PAN Card, 10th Marksheets, Parivar Nakal, and Nakal Jamabandi in the court of undersigned.

Wherein he stated that, he belongs to above mentioned address. His name is written as Onkar Chand in revenue record of Mohal Katyalu, Tehsil Jawalamukhi, which is wrong. His original/correct name is "Onkar Singh" Therefore, he requests to correct his name as " Onkar Singh" instead of Onkar Chand in the revenue record of Mohal Katlyalu, Tehsil Jawalamukhi, as per supportive documents enclosed by him with the application.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court on or before 08-04-2026. No Objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 12-03-2026.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 2nd Grade,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the Court of Assistant Collector-Cum-Naib Tehsildar, Jawalamukhi, Distt. Kangra
(H.P.)-176 031**

Case No: 814240/2026

Date of Next Hearing : 08-04-2026

In the matter of :

Chaman Goswami s/o Sh. Krishan Chand Goswami s/o Dyal Gir, r/o Mohal Darang, P.O. &
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) *Applicant.*

Versus

General Public

Respondent.

Application of correction of Name Under Section 37 of Land Revenue Act, 1954.

Whreras, Chaman Goswami s/o Sh. Krishan Chand Goswami, s/o Dyal Gir, r/o Mohal Darang, P.O. & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) has submitted an application under section 37 of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Aadhar Card, PAN Card, 10th Marksheets, Parivar Nakal and Nakal Jamabandi in the court of undersigned.

Wherein he stated that, he belongs to above mentioned address. His Father's name is written as Kripya in revenue record of Mohal Darang, Tehsil Jawalamukhi, which is wrong. The original/correct name of his father is "Krishan Chand Goswami" Therefore, he requests to correct his father's name as " Krishan Chand Goswami " instead of Kripya in the revenue record of Mohal Drang, Tehsil Jawalamukhi, as per supportive documents enclosed by him with the application.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant's father mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court on or before 08-04-2026. No Objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 12-03-2026.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 2nd Grade,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).*

**In the Court of Assistant Collector-Cum-Naib Tehsildar, Jawalamukhi, Distt. Kangra
(H.P.)-176 031**

Case No: 814226/2026

Date of Next Hearing : 08-04-2026

In the matter of :

Kapoor Singh s/o Sh. Ganga Ram, r/o Mohal Dohag, Mouza Gummer, P.O. Dohag Dehrian,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public .. Respondent.

Application of correction of Name Under Section 37 of Land Revenue Act, 1954.

Whreras, Kapoor Singh s/o Sh. Ganga Ram, r/o Mohal Dohag, Mouza Gummer, P.O. Dohag Dehrian, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) has submitted an application under section 37 of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Aadhar Card, PAN Card, 10th Marksheet, Parivar Nakal and Nakal Jamabandi in the court of undersigned.

Wherein he stated that, he belongs to above mentioSned address. His name is written as Kopoor Chand in revenue record of Mohal Dohag and Gharoon, Mouza Gummer, Tehsil Jawalamukhi, which is wrong. His original/correct name is "Kapoor Singh" Therefore, he requests to correct his name as " Kapoor Singh " instead of Kapoor Chand in the revenue record of Mohal Dohag & Gharoon Mouza Gummer, Tehsil Jawalamukhi, as per supportive documents enclosed by him with the application.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court on or before 08-04-2026. No Objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 12-03-2026.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

**In the Court of Assistant Collector-Cum-Naib Tehsildar, Jawalamukhi, Distt. Kangra
(H.P.)-176 031**

Case No : 814231/2026

Date of Next Hearing : 08-04-2026

In the matter of :

Om Parkash s/o Sh. Rattan Chand s/o Chetu, r/o V.P.O. Amb Pathiyar, Tehsil Jawalamukhi,
Distt. Kangra (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application of correction of Name Under Section 37 of Land Revenue Act, 1954

Whreras, Om Parkash s/o Sh. Rattan Chand s/o Chetu, r/o V.P.O. Amb Pathiyar, Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.) as submitted an application under section 37 of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as affidavit, Aadhar Card, 10th Mark sheet, PAN Card, Voter Card, Parivar Nakal and Jamabandi Parcha in the court of undersigned.

Wherein he stated that, he belongs to above mentioned address. His father name is written as Rattnu in the revenue record of Mohal Pathhiar and Uchhar, Tehsil Jawalamukhi, which is wrong. The original/correct name of his father is "Rattan Chand". Therefore, he requests to correct his father name as "Rattan Chand " instead of Rattnu in the revenue record of Mohal Pathiar & Uchhar Mouza Amb, Tehsil Jawalamukhi, as per supportive documents enclosed by him with the application.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant's father mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court on or before 08-04-2026. No Objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 12-03-2026.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 2nd Grade,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).*

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नमबर : 21 / एन0टी0 / 2026

तारीख पेशी : 28.04.2026

श्री धर्म पाल पुत्र स्व0 श्री गरजा राम, निवासी गांव त्रिहमी, डाकघर जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु तिथि के पंजीकरण हेतु।

श्री धर्म पाल पुत्र स्व0 श्री गरजा राम, निवासी गांव त्रिहमी, डाकघर जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसकी माता श्रीमती शंकरू देवी पत्नी गरजा राम, निवासी गांव त्रिहमी, डाकघर जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर की मृत्यु दिनांक 19-10-2007 को गांव त्रिहमी, डाकघर जड़ोल, तहसील सुन्दरनगर में हुई है परन्तु मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत जड़ोल के अभिलेख में न हो सका है इसलिए उसकी माता की मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 28-04-2026 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है अतः सर्व साधारण को इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2026 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी की माता की मृत्यु दिनांक 19-10-2007 का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत जड़ोल के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-04-2026

श्री रोशन लाल व देश राज पुत्रान श्री भीम सैन, निवासी गांव बागियाडा, पटवार वृत्त अंदराड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

श्री रोशन लाल व देश राज पुत्र श्री भीम सैन, निवासी गांव बागियाडा, पटवार वृत्त अंदराड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने पिता के नाम को दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसके पिता का नाम भीमसेन पुत्र सौन्की है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल अंदराड़, तहसील धर्मशाला में भीमा पुत्र सौन्की दर्ज है जोकि गलत है। उसके पिता का नाम श्री भीमसेन पुत्र सौन्की है इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी व अन्य दसतावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के पिता के नाम को दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथिअ24-04-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत हाजिर होवे हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कर्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 26-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-04-2026

श्री/श्रीमती स्वरूप कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रताप चन्द, गांव व डा0 घियाणाकलां, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

श्री/श्रीमती स्वरूप कुमार पुत्र स्व० श्री प्रताप चन्द, गांव व डा० घियाणाकलां, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने अपने राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम स्वरूप कुमार पुत्र स्व० प्रताप है परन्तु राजस्व रिकार्ड में सरूप चन्द पुत्र स्व० प्रताप दर्ज है जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी, शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 24-04-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत हाजिर होवे हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा करर्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेंगा।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

Mr./Mrs./Ms. Kunga Gyatso s/o Sh. Penpa, r/o Vill. Namgyal Monestery, Thechen Choeling Mcleodganj, Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra(H.P.)

. .Applicant.

Vs.

1. The General Public.
2. The Registrar Birth & Deaths, C.M.O. Kangra at Dharamshala.
3. The Registrar (Birth & Death)- cum-Panchayat Secretary, Concerned G.P.
4. The Commisioner Municipal Corporation Dharamshala.

. .Respondents.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Kunga Gyatso s/o Sh. Penpa, r/o Vill. Namgyal Monestery, Thechen Choeling Mcleodganj, Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 12-11-1977 को मैक्लोडगंज, तहसील धर्मशाला मे हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/संबंधित ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत न है अतः मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार/मुश्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Kunga Gyatso s/o Sh. Penpa की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-04-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-04-2026

श्री अच्छरी देवी पत्नी स्व श्री प्रीतम चन्द, निवासी गांव रसां डा0 सिद्धवाडी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

श्री अच्छरी देवी पत्नी श्री प्रीतम चन्द, निवासी गांव रसां डा0 सिद्धवाडी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थिया के मुताबिक उसका नाम अच्छरी देवी पत्नी स्व0 श्री प्रीतम चन्द है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अच्छरी देवी पत्नी स्व0 श्री प्रीतम चन्द दर्ज है जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थिया ने पर्चा जमाबंदी, शपथ-पत्र व अन्य दसतावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थिया का दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 24-04-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत हाजिर होवे हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा करर्षवाही अम्ल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेंगा।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-04-2026

श्री/श्रीमती अशोक कुमार पुत्र दुनी चन्द पुत्र सुरजन, निवासी मोहाल गड़, पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

श्री/श्रीमती अशोक कुमार पुत्र दुनी चन्द पुत्र सुरजन, निवासी मोहाल गड़, पटवार वृत्त शीला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने पिता के नाम को दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है।

प्रार्थी के मुताबिक उसके पिता का नाम दुनी चन्द पुत्र सुरजन है परन्तु राजस्व रिकार्ड महाल गड, तहसील धर्मशाला में दुनिया पुत्र सुरजन दर्ज है जोकि गलत है। उसके पिता का नाम श्री दुनी चन्द पुत्र सुरजन है इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी व अन्य दसतावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के पिता के नाम को दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 24-04-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत हाजिर होवे हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा करर्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 26-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-04-2026

श्री/श्रीमती जगदीश चन्द पुत्र रथ राम, निवासी गांव जुले, डा0 करडीयाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

श्री/श्रीमती जगदीश चन्द पुत्र रथ राम, निवासी गांव जुले, डा0 करडीयाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम जगदीश चन्द पुत्र रथ राम है परन्तु राजस्व रिकार्ड में जगदीश कुमार पुत्र रथ राम दर्ज है जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी, शपथ-पत्र व अन्य दसतावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी को नाम दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 24-04-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत हाजिर होवे हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा करर्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-04-2026

श्री/श्रीमती शिव चरण पुत्र स्व0 श्री जय कृष्ण, निवासी V.P.O. रक्कड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

श्री/श्रीमती शिव चरण पुत्र स्व० श्री जय कृष्ण, निवासी V.P.O. रक्कड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम शिव चरण पुत्र स्व० श्री जय कृष्ण है परन्तु राजस्व रिकार्ड में चरनु पुत्र स्व० श्री जय कृष्ण दर्ज है जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी, शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी को नाम दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 24-04-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत हाजिर होवे हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कर्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेंगा।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 24-04-2026

श्री/श्रीमती लेख राज पुत्र स्व० श्री बुधी सिंह पुत्र हीरा, निवासी उप महाल नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम बुधी सिंह पुत्र हीरा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में बिधु पुत्र हीरा दर्ज है जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी, शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

श्री/श्रीमती लेख राज पुत्र स्व० श्री बुधी सिंह पुत्र हीरा, निवासी उप महाल नरवाना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम बुधी सिंह पुत्र हीरा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में बिधु पुत्र हीरा दर्ज है जोकि गलत है। इस आशय की पुष्टि के लिए प्रार्थी ने पर्चा जमाबंदी, शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेज संलग्न किये हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता व संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी को नाम दुरुस्त करने बारे एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तिथि 24-04-2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत हाजिर होवे हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कर्यवाही अम्ल में लाई जाएगी। उसके उपरांत कोई भी एतराज न सुना जायेंगा।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
नायब तहसीलदार धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

समक्ष नायब तहसीलदार एवम सहायक समाहता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : 821837 / 2026

तारीख मजरुआ : 16-03-2026

तारीख पेशी : 21-04-2026

श्री मोहिंदर पाल पुत्र श्री रोशन पुत्र गुलावा, निवासी महाल तलाई, मौजा लुहणा, तहसील बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दायम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती

श्री मोहिंदर पाल पुत्र श्री रोशन पुत्र गुलावा, निवासी महाल तलाई, मौजा लुहणा, तहसील बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 16-03-2026 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने
प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहिंदर पाल है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व
अभिलेख महाल सरोत्री खास में महिन्दर चन्द व महाल तलाई में महिन्दर दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज
हुआ है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा-पत्र,
परिवार नकल, ड्राइविंग लाईसैन्स, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम
की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी
व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल सरोत्री खास में प्रार्थी का नाम महिन्द्र चन्द के स्थान पर मोहिंदर पाल पुत्र
रोशन पुत्र गुलाव, निवासी महाल तलाई, मौजा लुहणा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व राजस्व
अभिलेख महालत लाई में प्रार्थी का नाम महिन्दर के स्थान पर मोहिंदर पाल पुत्र रोशन पुत्र गुलाव, निवासी
महाल तलाई, मौजा लुहणा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई
उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस
अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बासूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही
अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहता द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

समक्ष नायब तहसीलदार एवम सहायक समाहता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : 821839 / 2026

तारीख मजरुआ : 16-03-2026

तारीख पेशी : 21-04-2026

श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन चन्द पुत्र झॉफर, निवासी गांव ठम्बा, मौजा संदू, तहसील बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दायम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती

श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन चन्द पुत्र झॉफर, निवासी गांव ठम्बा, मौजा संदू, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 16-03-2026 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुरिन्द्र कुमार है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल ठम्बा में सुरिन्द्र सिंह दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा-पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र, व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल ठम्बा में प्रार्थी का नाम सुरिन्द्र सिंह के स्थान पर सुरिन्द्र सिंह उपनाम सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री किशन चन्द पुत्र झॉफर, निवासी गांव ठम्बा, मौजा संदू, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बासूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 18-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

समक्ष नायब तहसीलदार एवम सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं० : 821839 / 2026

तारीख मजरुआ : 16-03-2026

तारीख पेशी : 21-04-2026

अंशिका राणा स्व० पुत्री श्री उत्तम सिंह पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भुजलेटा, मौजा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीक दोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती

अंशिका राणा पुत्री स्व० श्री उत्तम सिंह पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भुजलेटा, मौजा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 16-03-2026 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम अंशिका राणा है, परन्तु प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल भुजलेटा में कुमारी अंशिका व महाल क्यार में अंशिका दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज हुआ है प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन-पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भुजलेटा में प्रार्थिया का नाम कुमारी अंशिका के स्थान पर अंशिका राणा

पुत्री श्री उत्तम सिंह पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भुजलेटा, मौजा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व राजस्व अभिलेख महाल क्यार में प्रार्थिया का नाम अंशिका के स्थान पर अंशिका राणा पुत्री श्री उत्तम सिंह पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भुजलेटा, मौजा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बासूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**समक्ष नायब तहसीलदार एवम सहायक सर्माहता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 821839 / 2026

तारीख मजरुआ : 16-03-2026

तारीख पेशी : 21-04-2026

अंशुमन राणा पुत्र स्व0 श्री उत्तम सिंह पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भुजलेटा, मौजा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीक दायम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती

अंशुमन राणा पुत्र स्व0 श्री उत्तम सिंह पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भुजलेटा, मौजा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 16-03-2026 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अंशुमन राणा है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल भुजलेटा में असुमन व महाल क्यार में अंशुमन दर्ज हो चुका है, जो कि गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आवाहन-पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, शिक्षा प्रमाण-पत्र, व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भुजलेटा में प्रार्थी का नाम असुमन के स्थान पर अंशुमन राणा पुत्र स्व0 श्री उत्तम सिंह पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भुजलेटा, मौजा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व राजस्व अभिलेख महाल क्यार में प्रार्थी का नाम अंशुमन के स्थान पर अंशुमन राणा पुत्र स्व0 श्री उत्तम सिंह पुत्र मंगत राम, निवासी महाल भुजलेटा, मौजा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-04-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर हो कर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बासूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 7 / 2026

तारीख पेशी : 17-04-2026

अनिता देवी पुत्री श्री मेहर सिंह, निवासी गांव उमरी, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिया अनिता देवी पुत्री श्री मेहर सिंह, निवासी गांव उमरी, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-01-1967 को गांव उमरी, डा0 कौना, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत कौना में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कौना को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त सोनिका के जन्म तिथि 05-01-1967 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-04-2026 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किसम का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त अनिता देवी की जन्म तिथि 05-01-1967 को पंजीकृत करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत कौना को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03-04-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 70098 / 2026

तारीख मरजुआ : 02-01-2026

तारीख फैसला :

विश्व नेगी पुत्र स्व0 अजीत कुमार, निवासी ग्राम युवारिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम उप महाल युवारिंगी व दुमदुमका, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरखास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उपमहाल युवारिंगी व दुमदुमका, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

यह दरखास्त विश्व नेगी पुत्र स्व0 अजीत कुमार, निवासी ग्राम युवारिंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के द्वारा प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि प्रार्थी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, जन्म प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र में विश्व नेगी पुत्र अजीत कुमार

दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख के उप महाल युवारिगी व दुमदुमका तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के विभिन्न खातों में प्रार्थी का नाम लटू उपनाम विश्व पुत्र अजीत कुमार दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है इस बारे प्रार्थी उपरोक्त महालों के राजस्व अभिलेख के माल कागजात में अपना नाम विश्व नेगी दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी/वादी का नाम राजस्व अभिलेख के उपमहाल युवारिगी व दुमदुमका, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के विभिन्न खातों में लटू उपनाम विश्व पुत्र अजीत कुमार दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है इस बारे उपरोक्त महालों के राजस्व अभिलेख के माल कागजात में प्रार्थी का नाम विश्व नेगी दुरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-04-2026 या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 13-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

नम्बर मुकद्दमा : 700913/2026

तारीख मरजुआ : 12-02-2026

तारीख फैसला :

शिल्पी मेहता पुत्री स्व0 हरनाम सिंह, निवासी ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम उप महाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरखास्त (नाम दुरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका उपमहाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

यह दरखास्त शिल्पी मेहता पुत्री स्व0 हरनाम सिंह, निवासी ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के द्वारा प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि प्रार्थिया का नाम मुताबिक आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, व स्कूल प्रमाण-पत्र में शिल्पी मेहता पुत्री हरनाम सिंह दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख के उप महाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) में प्रार्थिया का नाम शिल्पा पुत्री हरनाम सिंह कुमार दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है इस बारे प्रार्थिया उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख के माल कागजात में अपना नाम दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया/वादी का नाम राजस्व अभिलेख के उप महाल कश्मीर, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0) में शिल्पा पुत्री हरनाम सिंह दर्ज/दर्शाया गया है जो सही नहीं है इस बारे प्रार्थिया उपरोक्त महाल के राजस्व अभिलेख के माल कागजात में प्रार्थिया का नाम दुरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13-04-2026 या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद अपील अवधि कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार प्रार्थिया का नाम दुरुस्ती करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 13-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0
04 / 2026

तारीख मरजुआ
02-02-2026

Vinod Kumari d/o (Late Veer Bahadur s/o Mani Ram, r/o Village Pokhra Khalanga Gaon Palika, District Rukum Karnali, Nepal) r/o Village V.P.O Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ।
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Vinod Kumari d/o (Late Veer Bahadur r/o V.P.O. Kothi (प्रार्थिया के पिता नेपाली मूल व माता गांव कोठी की स्थाई निवासी) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म 10-07-1973 को गांव कोठी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रार में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रार में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कोठी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Vinod Kumari d/o (Late Veer Bahadur r/o V.P.O. Kothi का जन्म 10-07-1973 को गांव कोठी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-04-2026 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा नं0
05 / 2026तारीख मरजुआ
02-02-2026

Savita Kumari d/o (Late veer Bahadur s/o Mani Ram, r/o Village Pokhra, Khalanga Gaon Palika, District Rukum Karnali, Nepal) r/o V.P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थिया का नाम ग्राम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रार में दर्ज करवाये जाने बारे अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Savita Kumari d/o Late Veer Bahadur r/o V.P.O. Kothi (प्रार्थिया के पिता नेपाली मूल व माता गांव कोठी के स्थाई निवासी) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म 25-04-1974 को गांव कोठी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रार में दर्ज नहीं करवाया गया अब प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रार में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कोठी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Savita Kumari d/o Late Veer Bahadur, r/o V.P.O. Kothi का जन्म 25-04-1974 को गांव कोठी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्ट्रार में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-04-2026 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकदमा नं0
06 / 2026तारीख मरजुआ
02-02-2026

Sh. Ashok Kumar s/o (Late Veer Bahadur s/o Mani Ram, r/o Village Pokhra, Khalanga Gaon Palika, District Rukum Karnali, Nepal) r/o V.P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।।
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Sh. Ashok Kumar s/o Late Veer Bahadur V.P.O. Kothi (प्रार्थी के पिता नेपाली मूल व माता गांव कोठी की स्थाई निवासी) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म 14-12-1972 को गांव कोठी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया अब प्रार्थी अपना का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कोठी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Sh. Ashok Kumar s/o Late Veer Bahadur V.P.O. Kothi का जन्म 14-12-1972 को गांव कोठी में हुआ है का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत कोठी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-04-2026 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0
07 / 2026

तारीख मरजुआ
02-02-2026

Ashok Kumari d/o Late Khoob Ram, r/o Village Brelingi, P.O. Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दूनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दूनी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Ashok Kumari d/o Late Khoob Ram r/o Village Brelingi, P.O. Kothi ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म 03-06-1973 को गांव ब्रेलिंगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत दूनी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दूनी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत दूनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव ब्रेलिंगी की आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Ashok Kumari d/o Late Khoob Ram, r/o Village Brelingi, P.O. Kothi का जन्म 03-06-1973 को गांव ब्रेलिंगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत दूनी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-04-2026 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं०
08 / 2026

तारीख मरजुआ
19-03-2026

Chhetan Dolma d/o Late Lal Singh, r/o V.P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Chhetan Dolma d/o Late Lal Singh, r/o V.P.O. Kalpa ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म 04-01-1967 को गांव कल्पा में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कल्पा की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Chhetan Dolma d/o Late Lal Singh, r/o V.P.O. Kalpa का जन्म 04-01-1967 को गांव कल्पा में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-04-2026 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं०
09 / 2026

तारीख मरजुआ
19-03-2026

Aditi d/o Sh. Bala Veer, r/o Village Shudarang, P.O. Reckong Peo, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, (H.P.).

बनाम

1. आम जनता।
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधिन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Aditi d/o Sh. Bala Veer, r/o Village Shudarang, P.O. Reckong Peo ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनका जन्म 13-02-2001 को गांव शुदारंग में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया गया। अब प्रार्थिया अपना का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत शुदारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव शुदारंग की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Aditi d/o Sh. Bala Veer, r/o Village Shudarang, P.O. Reckong Peo का जन्म 13-02-2001 को ग्राम शुदारंग में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत शुदारंग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-04-2026 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 35 / 2026

आगामी पेशी : 06-04-2026

श्रीमती हरा दासी पुत्री श्री भाग चन्द, निवासी गांव शरन, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र :- जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती हरा दासी पुत्री श्री भाग चन्द, निवासी गांव शरन, डाकघर रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST(B&D) Delay Birth and Death-KLU-2026-3583-84, Dated 21-02-2026, जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज को सम्बोधित है, इस अदालत में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थिया ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी जन्म तिथि 06-01-1969 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 06-01-1969 दर्ज करवाना चाहती है, प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 06-04-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 06-01-1969 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 07-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 36 / 2026

आगामी पेशी : 08-04-2026

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सब्जा चन्द, निवासी गांव लपाह, डाकघर मदाना, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र :- जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सब्जा चन्द, निवासी गांव लपाह, डाकघर मदाना, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक आवेदन पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST(B&D) Delay Birth and Death-KLU-2026-9202, Dated 05-03-2026, जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैज को सम्बोधित है, इस अदालत में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थिया ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी जन्म तिथि 04-04-1980 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत शांघड़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 04-04-1980 दर्ज करवाना चाहती है, प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शांघड़ के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 08-04-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत शांघड़, तहसील सैज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 04-04-1980 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 18-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Laxman Kanet (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Anni, Distt. Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Lucky s/o Sh. Sher Singh, r/o Village P.O. Anni, Tehsil Anni, District Kullu (H.P.)
2. Miss Parvati d/o Sh. Gopal Dewan, r/o Village Bhali, P.O. Munish Bahli, Tehsil Taklech, District Kullu (H.P.) . . .Applicant.

Versus

General Public

. . .Respondent.

Subject.—Notice under section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Whereas, the applicants have moved an application in the court of the undersigned accompanying affidavits under section 5 of Special Marriage Act, 1954 for registration of their intended marriage.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if anyone has objection regarding registration of marriage of Sh. Lucky and Miss Parvati, he/she/they/may file

his/her/their objection on or before 25-04-2026 in the office of the undersigned. In case no objection is received *ex-parte* order will be passed for registration of the marriage.

Issued under my hand and seal today on 25-03-2026.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Anni, District Kullu (H.P.).*

ब अदालत अंकित शर्मा सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

उनवान मुकदमा:-

श्री दया राम पुत्र श्री जुलाह उर्फ उतम उर्फ उतम राम उर्फ उतम चन्द, निवासी गांव जन्द्रोह मुहाल पटयोडा / 98, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थी के पिता के नाम को दुरुस्त करने बारे।

श्री दया राम पुत्र श्री जुलाह उर्फ उतम उर्फ उतम राम उर्फ उतम चन्द, निवासी गांव जन्द्रोह मुहाल पटयोडा / 98, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में जुलाह उर्फ उतम राम तथा आधार कार्ड में उतम चन्द दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भनवाड के मुहाल पटयोडा में जुलाह उपनाम उतम दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त राजस्व अभिलेख वाक्या मुहाल पटयोडा में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाकर जुलाह उपनाम उतम के स्थान पर जुलाह उपनाम उतम उपनाम उतम राम उर्फ उतम चन्द करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती के बारे में कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक 08-04-2026 को सुबह 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज काबिले समागत न होगा व नाम दुरुस्ती के बारे में हस्ब जाब्ता कार्यवाई अमल में लाई जायेंगी।

आज दिनांक 20-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Karsog, District Mandi (H.P.)

In the matter of :—

Smt. Reema Devi w/o Sh. Mohender Kumr, r/o Village Jua, P.O. Seri Banglow, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.)
Applicant.

Versus

Subject.—*Proclamation Regarding Correction Of Name.*

Whereas, the above-named applicant has submitted an application alongwith an affidavit before this court seeking correcton/change of her name in the service book records maintained by the Health Department, Govt. of H.P. from "Kumari Reema Verma" to "Reema Devi", on the basis of supporting documents such as Matriculation Certificate, Pariwar Register Nakal, Aadhar Card, Pan Card and other relevant records.

And whereas, the applicant has further stated that "Kumari Reema Verma" and "Reema Devi" are names of the same individual, and that she intends to renounce the use of the name "Kumari Reema Verma" and retain "Reema Devi" as her correct and official name in all records, particularly in the service book records maintained by the Health Department, Govt. of H.P.

Now therefore, through this public proclamation, objections are hereby invited from the general public. Any person having any objection to the proposed correction of name from "Kumari Reema Verma" to "Reema Devi" in the Service Record maintained by Health Department, Govt. of H.P, may appear before the undersigned on or before 22-04-2026, either in person or through an authorized representative/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 23rd day of the March, 2026 under my hand seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate, Karsog,
District Mandi (H.P.).

—————
**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Ghanshyam s/o Sh. Kundan Lal, r/o V.P.O. Diyargi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Arti d/o Sh. Harnam Singh, r/o V.P.O. Kuthar, Tehsil Kasauli, District Solan, (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—*Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.*

Sh. Ghanshyam s/o Sh. Kundan Lal, r/o V.P.O. Diyargi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.). and Smt. Arti d/o Sh. Harnam Singh, r/o V.P.O. Kuthar, Tehsil Kasauli, District Solan, (H.P.) under

section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-10-2016 according to Hindu rites and customs at r/o V.P.O. Diyargi Tehsil Balh, District Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-04-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27-03-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

In the Court of Sh. Aditya Guleria Executive Magistrate Sundernagar District Mandi (H.P.)

In the matter of :

Case No : 23/NT/2026

Date of hearing : 28-04-2026

Smt. Nafisa Khatun d/o Sh. Biniyamin, r/o Village Dinak, Post Office Kanaid, Tehsil Sundemagar, District Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Subject:— *Registration of delayed birth of the applicant.*

Public Notice :

Whereas, an application u/s 13(3) of the registration of Birth and Death Act, 1969 has been received from Smt. Nafisa Khatun d/o Sh. Biniyamin, r/o Village Dinak, Post Office Kanaid, Tehsil Sundemagar, District Mandi (H.P.) seeking registration of her delayed birth event, stated to have been born on 16-08-1987 at village Dinak, Post Office Kanaid, Tehsil Sundemagar, District Mandi which could not be entered/registered within the prescribed period under the Registration of Birth and Death Act, 1969 in the record of Gram Panchayat Dugrain.

And whereas the said applicant has prayed for registration of the said birth at this belated stage.

Now, therefore, notice is hereby given to the general public that if, any person has any objection or information the facts stated in th said application, he/she may submit the same in writing along with supporting evidence, if any, to the undersigned on or before 28-04-2026

In case on objection is received within the stipulated period, it shall be presumed that no one has any objection, and the matter shall be proceeded with further as per law.

Issued under my hand and seal on the day of 24th of March, 2026.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H. P.).

**In the Court of Sh. Manjeet Sharma, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H.P.)**

Smt. Satya Devi d/o Sh. Piru Ram, r/o Village Machryana (Dargi), P.O. Sainj, Sub-Tehsil Dhama, District Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Satya Devi d/o Sh. Piru Ram, r/o Village Machryana (Dargi), P.O. Sainj, Sub-Tehsil Dhama, District Shimla (H.P.) has submitted an application alongwith a Non-Availability Certificate issued by the Registrar Birth & Death Gram Panchayat Chanawag Shimla, District Shimla (H.P.), before this court under section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 seeking permission to enter date of birth as 18-03-1953 in the record of the Registrar, Birth and Deaths, in Gram Panchayat Chanawag, District Shimla (H.P.).

Particulars of the Applicant :

Sl. No.	Name of the family members	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Satya Devi	Self	18-03-1953

Hence, this proclamation is issued to general public with directions if any person has any objection or claim with regard to the entry of the date of birth of the above named person in the record of the Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Chanawag Shimla, District Shimla (H.P.) he/she may file such objections in this court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette, failing which the matter shall be proceeded with and necessary orders shall be passed in accordance with law.

Issued today 28-03-2026 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 4 / 13(3) of 2026

तारिख मजरूआ : 06-03-2026

तारिख पेशी : 10-04-2026

प्रार्थी श्री नागेंदर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह, निवासी चोरटिया बनोगटा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दरखास्त बरुये जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थी/वादी श्री नागेंदर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह, निवासी चोरटिया बनोगटा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपने बेटे आयुष ठाकुर का जन्म ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के बेटे का जन्म तिथि 03-04-2019 को ग्राम पंचायत महिपुर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपने बेटे का जन्म ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज न करवा सका। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 10-04-2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असातलन व वकातलन पेश हो सकता है। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 5 / 13(3) of 2026

तारिख मजरूआ : 06-03-2026

तारिख पेशी : 10-04-2026

प्रार्थी श्री नागेंदर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह, निवासी चोरटिया बनोगटा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दरखास्त बरुये जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थी/वादी श्री नागेंदर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह, निवासी चोरटिया बनोगटा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपनी बेटी वामिका ठाकुर का जन्म ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी की बेटी का जन्म तिथि 21-02-2021 को ग्राम पंचायत महिपुर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपनी बेटी का जन्म ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज न करवा सका। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 10-04-2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असातलन व वकातलन पेश हो सकता है। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं० : 6/13(3) of 2026

तारिख मजरूआ : 06-03-2026

तारिख पेशी : 10-04-2026

प्रार्थी श्री नागेंदर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह, निवासी चोरटिया बनोगटा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दरखास्त बरुये जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थी/वादी श्री नागेंदर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह, निवासी चोरटिया बनोगटा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपनी बेटी हिमांशी ठाकुर का जन्म ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी की बेटी का जन्म तिथि 27-03-2023 को ग्राम पंचायत महिपुर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण आज तक अपनी बेटी का जन्म ग्राम पंचायत महिपुर में दर्ज न करवा सका। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 10-04-2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असातलन व वकातलन पेश हो सकता है। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13-03-2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 30th March, 2026

PWD-B-F0(5)/9/2024-229154.—In continuation to this Department Notification No. PWD-B-F0(5)/9/2024-241453 dated 01-11-2025 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare "Sarkaghat to Rewalsar via Maseran, Durgapur, Rakhota, Durgapur Road" in District Mandi, H.P. having length of 31.500 Kms. as Major District Road No. 135 at Sr. No. 126.

Accordingly, the total length of Major District Roads in the State will be 5066.975 Kms.

By order,
Principal Secretary (PW).

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

आर्म्सडेल, शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002. Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154

Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated 6th April, 2026

No. SEC-HP-F002(01)/1/2021-8829-72.—Whereas the State Election Commission, Himachal Pradesh had issued the programmes *vide* Notification No. SEC-HP-F002(01)/1/2021-6682, dated 2nd March, 2026 and No. SEC-HP-F002(01)/2021-7001-43, dated 12th March, 2026 for the delimitation of wards of nine Municipalities in the State *i.e.* M.C. Nadaun, N.P. Jhaundutta, N.P. Swarghat, N.P. Sangrah, N.P. Bangana, M. Corp. Una, M.C. Rohroo, N.P. Narkanda and N.P. Bir;

And whereas final orders of delimitation of Municipalities in respect of M.C. Nadaun, N.P. Jhaundutta, N.P. Swarghat, N.P. Sangrah, N.P. Bangana, M.C. Rohroo and N.P. Narkanda have been issued by the concerned Deputy Commissioners;

And whereas Rule 9(2) of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 provides that the State Election Commission shall notify the delimitation of wards in the Official Gazette;

Therefore, the State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 9 (2) of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, hereby notifies the delimitation of wards in respect of above mentioned Municipalities (except M. Corp. Una and N.P. Bir) of the State as per **Annexure-A** attached.

By order,

(ANIL KUMAR KHACHI),
State Election Commissioner,
Himachal Pradesh.

ANNEXURE-A

नगर परिषद नादौन, जिला हमीरपुर:—

वार्ड न०	वार्ड का नाम	साथ लगती सीमाओं का विवरण एवं सीमांकन
1.	ध्यानूभगत समाधी वार्ड	हनुमान मंदिर के सामने ओम ज्वेलर की दुकान से बायें ओर होते हुये चुगला चोक से ब्यास नदी तट तक व्यास नदी के तट से समसान घाट होते हुये व्यास नदी से सिविल हॉस्पिटल के साथ अद्योगिक क्षेत्र कोहला से साई B.Ed कॉलेज से साथ लगते घर से होते हुए वापिस सिविल हॉस्पिटल के वायें ओर होते हुए सब जज
2.	पत्तन बाजार	अरुण पुरी की दुकान के दायें ओर से ब्यास नदी तट तक, वहां से पूर्व की ओर से व्यास नदी के किनारे होते हुए व्यास नदी पुल तक, पुल से दक्षिण दिशा की ओर से एन.एच. से होते हुए कृष्ण जैन के घर तक, वहां से जैन चौक से होते हुए सीधा गली द्वारा अरुणपुरी के दुकान के सामने तक ।

3.	दूरभाष केंद्र/डाकघर मुहल्ला	डाकघर से दायें ओर होते हुए NH सड़क के किनारे शनि देव मंदिर तक, शनिदेव मंदिर से सीधा अपर बाजार में हनुमान मंदिर तक, हनुमान मंदिर से पश्चिम की ओर से सीधा राधा कृष्ण मंदिर से चुगला तक, चुगला के दायें ओर से वाया जैन चौक से डाकघर तक ।
4.	इन्द्रपाल बस स्टैण्ड	शनिदेव मंदिर के सामने विजय टांक की दुकान से वायें ओर होते हुए हनुमान मंदिर के चौक के सामने से होते हुए सीधा राजेश सोनी की दुकान तक वहाँ से सीधा सामने मास्टर जोगिन्दर की दुकान से वायें ओर होते हुए आयुष्मान हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल से कोहला मानपुल से सीधा खड़ के किनारे होते हुए राधा स्वामी सत्संग घर से वापिस मानपुल से सीधा NH सड़क से वायें ओर होते हुए गुरुद्वारा गेट की ओर से सीधा इन्द्रपाल चौक की ओर वहाँ से सीधा विजय टांक की दुकान तक ।
5.	इन्दोर स्टेडियम	मिनी सचिवालय से होशियारपुर रोड से होते हुए तकिया मंदिर से मानपुल तक ,मानपुल से मानखड के किनारे होते हुए राज पैलेस से होते हुए भरमोटी चौक से पीछे एम.सी. हद तक, वहाँ से ज्ञान चन्द चौधरी के घर से होते हुए गुर्जर बस्ती तक, वहाँ से सीधा प्रिंस होटल से होते हुए पुलिस स्टेशन तक जहाँ तक एम.सी.हद है, वहाँ से सड़क से होते हुए एन.एच.सीधा इन्द्रपाल प्रतिमा के सामने मिनी सचिवालय तक।
6.	बाबा बालक नाथ मंदिर	डाकघर के सामने शहीदी गेट से होते हुए इन्द्रपाल प्रतिमा वाली मार्केट के सामने से होते हुए सीधा एन.एच. के किनारे पुलिस स्टेशन रोड तक, पुलिस रोड से होते हुए पुलिस स्टेशन के पीछे पुली तक, वहाँ से सीधा ऊपर की ओर एस.डी.एम.कॉलोनी के साथ वाले रास्ते से होते हुए राकेश जैन के घर तक, वहाँ से सीधा धर्मवीर शेटी के घर से होते हुए पंचायत भवन के सामने रोड समाप्ति तक, वहाँ से सीधा रोड के किनारे होते हुए शहीदी गेट तक ।
7.	गुग्गा मंदिर (बेला)	शहीदी गेट से ज्वालामुखी रोड से होते हुए व्यास नदी के पुल तक हुंडई वर्कशॉप तक, वहाँ से सीधा व्यास के किनारे-किनारे होते हुए वापिस पंचायत घर तक वहाँ से रोड द्वारा शहीदी गेट टूरिज्म होटल तक ।
8.	अमतर स्टेडियम	पंचायत भवन से पीछे वाली गली दायें ओर होते हुए विनोद कुमार के घर तक , शिव मंदिर के सामने वहाँ से व्यास नदी तट तक ,व्यास नदी के किनारे होते हुए राजा के महल के सामने बाली गल्ली से होते हुए पुष्पा देवी के घर तक, वहाँ से सीधा सड़क से होते हुए बचपन स्कूल की ओर से सामने होते हुए दायें ओर सीधा पंचायत घर तक ।
9.	बेला	श्री राकेश जैन के घर के सामने से SDM कॉलोनी वाली सड़क से होते हुए कॉलोनी से सीधा टिल्लू रोड तक, वहाँ से स्टेडियम की ओर बाली सड़क से ऊपर की ओर बेला महाल की हद तक, राजा के महल से होते हुए महल बाली गल्ली से संतोष के घर तक, वहाँ से सीधा सड़क से बचपन स्कूल के वायें ओर होते हुए पंचायत घर के सामने शहतूत फार्म से होते हुए राकेश जैन के घर के सामने तक ।

Nagar Panchayat Swarghat, District Bilaspur:—

W. No.	Name of the ward	Ward Extant
1.	Dabheta Ward	<p>The Area is bound from North: Starting from the place boundary of revenue village Dadrana Dhar Bhartha and revenue village Dabheta to boundary of village Dhar Bhartha and jungal fatehpur on the north East.</p> <p>The Area is bound from East: The area is bound from the boundary of village Kunplate district Solan to jungal chamba district Solan and upto jungal fatehpur.</p> <p>The Area is bound from South: Area is bound with the boundary of village Bhasra District Solan upto the boundary of Village kunplate.</p> <p>The Area is bound from West: Area from the boundary of Village Bhasra upto the boundary of revenue Village Dadrana.</p>
2.	Matnoh Ward	<p>The Area is bound from North: The area is bound with the boundary of Revenue village Manjhed upto the boundary of Jangal Fatehpur on north east.</p> <p>The Area is bound from East: The area is bound with the boundary of village of Jangal Fatehpur upto the boundary village Dharbhartha.</p> <p>The Area is bound from South: The area is bound with the boundary of revenue village Dharbharth upto the boundary of village Fatehpur.</p> <p>The Area is bound from West: The area is bound with the boundary of village Dabheta and up to the village of Kathala.</p>
3.	Kutehla Ward	<p>The Area is bound from North :the area is bound with the boundary of Jangal Fatehpur up to boundary of village Dhansway</p> <p>The Area is bound from East: The area is bound with the boundary of Dhansway and Jangal Fethepur up to the boundary of village Dharkanshi.</p> <p>The Area is bound from South: The area is bound with the boundary of Dharkanshi and Jangal Fethepur.</p> <p>The Area is bound from west: The area is bound with the boundary of revenue village Jangal Fethepur.</p>
4.	Manjher Ward	<p>The Area is bound from North: The area is bound with the boundary of revenue village Kyariyan.</p> <p>The Area is bound from East: The area is bound with the boundary of Fatehpur up to boundary of Majher Bhulan.</p>

		<p>The Area is bound from South: The area is bound with the boundary of Matanoh up to boundary of Kathala.</p> <p>The Area is bound from West: The area is bound with the boundary of revenue Village Kathala and Samletu.</p>
5.	Samletu Ward	<p>The Area is bound from North: The area is bound with the boundary of revenue Village Sunnan and Bhatar.</p> <p>The Area is bound from East: The area is bound with the boundary of revenue village Jangal Fetehpur up to the boundary of revenue village Majher.</p> <p>The Area is bound from South: The area is bound with the boundary of revenue village Kathala upto the boundary of revenue Village Panga.</p> <p>The Area is bound from west: The area is bound with the boundary of revenue village Thapna upto the boundary of revenue Village Jabbal.</p>
6.	Kathla Ward	<p>The Area is bound from North: The area is bound with the boundary of revenue village Panga & Samletu upto the boundary of revenue Village Majher.</p> <p>The Area is bound from East: The area is bound with the boundary of revenue village Majher, Matnoh, Dharbhartha upto the boundary of revenue Village Dadrana.</p> <p>The Area is bound from South: The area is bound with the boundary of revenue village Dadrana upto the boundary of revenue Village Kharani.</p> <p>The Area is bound from West: The area is bound with the boundary of revenue village Khurani, Jangal Jajjar upto the boundary of revenue Village Tiun.</p>
7.	Thapna Ward	<p>The Area is bound from North : The area is bound with the boundary of revenue village sunhan upto the boundary of revenue Village Kyariyan.</p> <p>The Area is bound from East: The area is bound with the boundary of revenue village Kyariyan Samletu upto the boundary of revenue Village Kethala.</p> <p>The Area is bound from South: The area is bound with the boundary of revenue village Kathala upto the boundary of revenue Village Tiun.</p> <p>The Area is bound from West: The area is bound with the boundary of Tiharli Jangal Dadnal upto the boundary of revenue Village Fufali Jhulaan.</p>

Nagar Panchayat Jhandutta, District Bilaspur:—

वार्ड का नाम व नंबर	वार्ड सीमा नगर पंचायत झंडूता, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
<p>ठप्पर-1 (Thappar-1)</p>	<p>उत्तर दिशा में –श्री महेंद्र सिंह सपुत्र श्री जगरनाथ के घर से लगते नाला के साथ इन्द्रो देवी पूर्व वार्ड सदस्य के घर तक ।</p> <p>पूर्व दिशा में –श्री महेंद्र सिंह सपुत्र श्री जगरनाथ के नाला के साथ श्री अमर सिंह के घर तक ।</p> <p>दक्षिण दिशा में- श्री अमर सिंह के घर से झंडूता सोयम नाला से होते हुये श्रीमति इन्द्रो देवी पूर्व वार्ड सदस्य के घर तक ।</p> <p>पश्चिम दिशा में- श्रीमति इन्द्रो देवी पूर्व वार्ड सदस्य के घर श्री हरी राम गाँव बलघाड सीमा से होता हुआ श्री महेंद्र सिंह के घर तक ।</p> <p>इस वार्ड में निम्नलिखित प्रसिद भवन सम्मलित है:-</p> <p>श्री गोपाल मंदिर</p>
<p>आनन्दघाट-2 (Anandghat-2)</p>	<p>उत्तर दिशा में – श्री राकेश कुमार सपुत्र श्री बाबु राम के घर से होते हुये नन्द लाल के घर तक ।</p> <p>पूर्व दिशा में – नन्द लाल के घर से शिव मंदिर आनंदघाट से सोसाइटी डिपो से होते हुये साथ लगते नाला झंडूता दायम से श्री अमर सिंह के घर तक ।</p> <p>दक्षिण दिशा में- श्री अमर सिंह के घर से श्री महेंद्र सिंह सपुत्र श्री जगरनाथ के घर तक ।</p> <p>पश्चिम दिशा में- श्री महेंद्र सिंह सपुत्र श्री जगरनाथ के घर से होते हुये गाँव बलघाड की सीमा से चलते हुये सुभाष चन्द के घर से होते हुये रमेश कुमार सपुत्र श्री बाबु राम के घर तक ।</p> <p>इस वार्ड में निम्नलिखित प्रसिद भवन सम्मलित है:-</p> <p>शिव मंदिर आनंदघाट</p>
<p>जेठवीं छोटी बिलौर-3 (Jethwin Chhoti Bilour-3)</p>	<p>उत्तर दिशा में - वन विश्राम गृह बरनोट से शुरू होकर विद्युत कार्यालय झंडूता के साथ लगते नाले से होते हुये झंडूता सोसाइटी तक ।</p> <p>पूर्व दिशा में – झंडूता सोसाइटी से शुरू होकर सड़क के साथ-साथ दक्षिण में शमशान घाट तक ।</p> <p>दक्षिण दिशा में - शमशान घाट तक ।</p> <p>पश्चिम दिशा में – शिव मंदिर आनंदघाट से शुरू होकर गाँव ठप्पर व झंडूता सोयम के बीच के नाले के साथ-साथ नीचे शमशान घाट झंडूता तक ।</p>

	<p>इस वार्ड में निम्नलिखित प्रसिद भवन सम्मलित है:—</p> <p>कार्यालय उप-मंडलाधिकारी (नागरिक), तहसील कार्यालय झंडूता, वन विश्राम गृह, पुलिस थाना, पटवार सर्किल झंडूता, खंड विकास अधिकारी झंडूता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झंडूता, कार्यालय उप-मण्डल विद्युत विभाग झंडूता ।</p>
बडवाड-4 (Badwad-4)	<p>उत्तर दिशा में—वट वृक्ष से पूर्व प्रधान श्रीमति कृष्णा के घर से होते हुये महिला मण्डल बड़ी बडवाड से राजकीय प्राथमिक पाठशाला झंडूता के साथ लगते नाले तक ।</p> <p>पूर्व दिशा में—कृष्णु राम की दूकान से होते हुये बाबु राम के घर से सतीश कुमार के घर तक, महिला मण्डल बडवाड से नाले के साथ साथ राजकीय प्राथमिक पाठशाला झंडूता से होते हुये पूर्व MLA निक्कू राम के परिवार की दुकानों तक ।</p> <p>दक्षिण दिशा में— पूर्व MLA निक्कू राम के परिवार की दुकानों से सड़क के साथ- साथ बाबु राम सुपुत्र श्री दीन मुहम्मद के घर तक ।</p> <p>पश्चिम दिशा में— वांडा वार्ड की बाउंड्री पर बाबु राम के घर से शुरू होकर सतीश सुपुत्र तुलसी राम के घर से होते हुये उत्तर में वट वृक्ष तक ।</p> <p>इस वार्ड में निम्नलिखित प्रसिद भवन सम्मलित है:—</p> <p>कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी झंडूता, राजकीय प्राथमिक पाठशाला झंडूता ।</p>
वांडा-5 (Wanda-5)	<p>उत्तर दिशा में—भाग सिंह के घर से शुरू होकर 33 KV सब स्टेशन के साथ से रोड के साथ- साथ किशोरी लाल सुपुत्र श्री प्रेम सिंह की दुकान के साथ लगते बड़े वट वृक्ष तक ।</p> <p>पूर्व दिशा में—सतीश कुमार के घर से पैदल चलने वाले रास्ते के साथ-साथ बाबु राम सुपुत्र श्री दीन मुहम्मद के घर तक वहां से सड़क के साथ- साथ झंडूता अब्बल की सीमा के नाले तक ।</p> <p>दक्षिण दिशा में— झंडूता सोसाइटी से सड़क में उत्तम के घर तक फिर वहां से नाले के साथ साथ झंडूता अब्बल की सीमा तक ।</p> <p>पश्चिम दिशा में— वन विश्राम गृह बरनोट से शुरू होकर विद्युत कार्यालय झंडूता के साथ- साथ नाले से होते हुये जेठवीं वार्ड की सीमा तक ।</p> <p>इस वार्ड में निम्नलिखित प्रसिद भवन सम्मलित है:-</p> <p>आंगनवाड़ी केन्द्र वांडा, महिला मण्डल वांडा ।</p>
झंडू-6 (Jhandu-6)	<p>उत्तर दिशा में—झंडूतासोयम व झंडूता अब्बल की बाउंड्री नाले के साथ-साथ शुरू होकर रमेश पुत्र धनी राम के घर से सड़क के साथ साथ जोगिन्दर सिंह सेवानिवृत्त पीटीआई के घर तक ।</p>

	<p>पूर्व दिशा में – जोगिन्दर सिंह सेवानिवृत्त पीटीआई के घर के पीछे से पैदल चलने वाले रास्ते के साथ अली मोहम्मद पुत्र रहम दीन के घर होते हुये झंडू नौण तक वहां से धुनी मंदिर तक ।</p> <p>दक्षिण दिशा में – धुनी मंदिर नाले से होते हुये बिट्टू गेस्ट हाउस तक वहां से मुख्य सड़क से होते हुये रोपड़ी भाखडा पंप तक ।</p> <p>पश्चिम दिशा में – रोपड़ी भाखडा पंप से होते हुये झण्डुत्ता दोगम के नाले के साथ-साथ देवी राम व रमेश की दुकानों तक ।</p> <p>इस वार्ड में निम्नलिखित प्रसिद्ध भवन सम्मिलित है-</p> <p>मस्जिद, गुगामंदिर, शिवधुनी मंदिर।</p>
<p>बैहरन-7 (Behran-7)</p>	<p>उत्तर दिशा में- राजकीय महाविद्यालय झण्डुत्ता से होते हुये महिला मण्डल बडवाड व शहीद अश्वनी कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता से होते हुये श्री अच्छर सिंह सपुत्र श्री लेख राम के घर से होते हुये झण्डुत्ता व खंड विकास कार्यालय की और जाने वाली सड़क तक ।</p> <p>पूर्व दिशा में – सैनिक कटीन से होते हुये श्रीमति रत्तनी देवी के घर से दीपक सपुत्र श्री इन्द्र सिंह के घर से होते हुये अनिल कुमार सपुत्र श्री गंगा राम, अनिल कुमार सपुत्र श्री लौहका राम, राम लाल सपुत्र श्री भगत राम, करतार सिंह सपुत्र श्री गंगा राम के घर से राजकीय महाविद्यालय झण्डुत्ता तक ।</p> <p>दक्षिण दिशा में – श्री नरेंद्र कुमार सपुत्र श्री जगदीश के घर से कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी झण्डुत्ता से होते हुये श्री हरबंस सपुत्र श्री चूहा व ज्ञान चन्द के घर से सैनिक कटीन तक ।</p> <p>पश्चिम दिशा में- श्री रण सिंह की दुकान से शुरू होकर सड़क से चन्द किशोर की दुकान व झंडू गाँव की सीमा तक ।</p> <p>इस वार्ड में निम्नलिखित प्रसिद्ध भवन सम्मिलित है:-</p> <p>कार्यालय ग्राम पंचायत, कार्यालय मण्डल जल शक्ति विभाग, कार्यालय मण्डल हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, कार्यालय खाद्य आपूर्ति विभाग, पशु चिकित्सालय, कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, शहीद अश्वनी कुमार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता, राजकीय महाविद्यालय झण्डुत्ता ।</p>

Nagar Panchayat, Sangrah, District Sirmaur:—

Ward No. & Name	Area of ward
1. Jawgadhar	From Kinkari Devi Park in the North to 33 K.V. power sub-station in the South and from Paab Pani in the West via employment office to Veterinary Hospital to Rimjhim Hotel in the East.

2. Main Bazar Sangrah	From Vinod Kanth's house in the South to the N.D.H. road via Public Works Department Rest House to below of the Veterinary Hospital in the North and from the Police Colony in the East to the Forest Range Office in the West.
3. Sangrah Town	From R.K.V.N. School in the North to Him Vidya Mandir School in the South, from C.H.C. Sangrah in the East via H.P. Gas Agency Sangdah Lana Palar Road to Guga Mandir Sangrah in the West.
4. Pawra	From Shumla Pani in the North to the house of Mahender Singh son of Shri Vanu Ram in the South and from Pawra Khala in the East to GPS Pawra in the West.
5. Tikkeri	From below the Forest Range Office in the South to the house of Smt. Vimla Devi wife of Shri Basti Ram in the North and from the house of Smt. Sugna Devi wife of Shri Surat Ram in the East to the boundary of Pawra Ward in the West.
6. Dahar	From R.K.V.N. School in the South to the house of Madan son of Bishan Singh in the north and from Panch Bavdi Khala in the East to the house of Ramesh son of Kundan Singh in the West.
7. Goila-Kadoli	From the house of Ramesh son of Kundan in the East, to the house of Rajender son of Roop Singh in the West and from the house of Smt. Sheela Devi daughter of Budhi Singh in the South to the house of Bhag Chand son of Ganga Ram in the North.

Nagar Panchayat Bangana, Distt Una

Ward No.	Ward Name	Extent of boundaries
1.	Naiyali Upperli	East-Senior Secondary School Bangana West-Chinj barda Bangana North-Hotel nakshtar South- Jai Ambe petrol pump Brief Description:- Range office to Indian oil petrol pump to rest house to hospital to HP petrol pump.
2.	Rit Satrukha	East- Sukhdev s/o Prakash Chand West- HPPWD Colony North-Piploo Chowk South-BDO office Bangana Brief Description:- Piploo Chowk to House of Sukhdev s/o Prakash Chand r/o Rit Satrukha to BDO Office Bangana to HPPWD Colony.
3.	Bout	East-Baikunth dham naun West-Main bazaar Bangana North – House of Anil kumar South-Hotel Karan Raaz Brief Description:- House of Kesar to house of Anil to BDO office Bangana.

4.	Bhalet	East – Nala near to house of Ravinder Kumar West-Guga mandir naily North-House of Manoj Kumar South-Shiv Mandir near to Shivalik Hotel Brief Description:- House of Baysa Devi to house of Ram Prakash to house of Chirnji Lal.
5.	Muchhali Khaas	East-Dug (nala) West-Lunkhar khad North-IPH Overhead tank South- Dug (Kotla) Brief Description:-Cattle shed of Jasvir chand to GPS Muchhali to house of Thola Ram.
6.	Bangana	East-Riddi (near to house of Jaikishan) West-IPH water tank North- International Himalyan Public School South-Harijan basti bahal Brief Description: - House of Saroj Kumari to house of mianj house to house of Ramesh chand to thandi khui.
7.	Chilli	East-Babdi Gharoh West-Gau sadan Chilli North-Tamlet guga Temple South-ITI Dumkhar Brief Description:-House of Rajinder Kumar Gharoh to Baglamukhi Mandir Jhabrani to House of Mahinder Kumar Tamlet to Shani Dev Mandir Chilli.

MUNICIPAL COUNCIL ROHRU, DISTRICT SHIMLA

Sr. No.	Ward Number and Name	Area under Ward with detail of Boundaries
1.	Ward No. -1 (Dashalni & Seri)	East: Dry Makhi Nala up to MC Office. West: Yogeshwar Lals House upto Diddi Nallah North: Kuttu Dhar. South: Patwar Khana Road up to MC Office. Brief Description: Dashalini Village (School Area), New Seri Area, Ram Mandir Dashalni
2.	Ward No. -2 (Upper Bazar)	East: Yogeshwar Lals House upto Diddi Nallah West: Upper Bazar Market Road up to Upper Bazar Stairs North: Diddi Nallah. South: Up to DFO Office Brief Description: Area from Laxmi Chand House to Meat Market, Rohru, including Lower Sari.
3.	Ward No. -3 (Main Bazar)	East: Gudru Mohalla Pathway West: Shikri River North: City Police Chowki South: Pabbar River. Brief Description: Area from Atma Ram House to the steps of Main Bazaar (lower portion), including Khitta Building towards Chirgaon Road up to Bir Chand Shyam Building.

4.	Ward No. -4 (Samala)	East: Diddi Nallah. West: Govt. B. Pharmacy College up to Khasra No. 26, Chak Annu. North: Kuttu Dhar Top. South: Up to Shikri River. Brief Description: Samala Area, MC Parking, HRTC Workshop, Himuda Colony and Lower Pauli Area on Arhal road.
5.	Ward No. -5 (Bus Stand Area)	East: Upper Bazar market road, West: Shikri River. North: Diddi Nallah South: Upper Bazar Market Stairs Brief Description: Old Busstand Area including both sides on Rohru-Rampur Road upto Meat Market including west side shops of Upper Bazar road.
6.	Ward No. -6 (Block Area)	East: Shikri Bridge to Court Road West: Up to Naresh Tanta Shop North: Up to Narta Colony South: Up to Post Office Brief Description: Block Area including DFO Residence Area, Police Station & BSNL Area.
7.	Ward No. -7 (Court Area)	East: Shikri River. West: HPMC Cold Store. North: Court Road (Upper side to SDM Office). South: Pabbar River. Brief Description: Court Area including the lower side of Court Road up to Pabbar River, Veterinary Hospital and Virbhadra Singh Park.
8.	Ward No. -8 (Bautinalah)	East: Up to Virbhadra Singh Park. West: New Life Hospital up to Palkan Dogri North: Panna Lal House. South: Pabbar River and Revenue Village Banchhuna. Brief Description: Entire Revenue Village Gangtoli Dehat, Ambedkar Nagar, Glory School Area.
9	Ward No. -9 (Shaktinagar)	East: Lamabakhatal upto Gau Sadan. West: Atma Ram House pathway in Gudru Mohalla Area. North: South of Patwar Khana Road up to MC Office. South: Pabbar River. Brief Description: Area covering Lamabakhatal, IPH Office, Goyal Moter Area.

NAGAR PANCHAYAT NARKANDA, DISTRICT SHIMLA

Sr. No.	Ward Number and Name	Area under Ward with detail of boundaries
1.	Kali Mitti	East – Makhaik Building

		West – Kalimatti Mord North – Arun & Archna House South – Lal Chand Negi House Kali Mitti Moad to Roshan Makhaik building (9-54-90)
2.	Durga Mandir	East – Ganpat Ram House West – Mahamaya Building North – Meera Kaushal Building South – Kavita Negi House Meera Kaushal house to Ganpat Ram house (Same as before)
3.	Circuit House	East – Circuit House West – Diwanu ram House North – Roshan Building South –Forest Colony Dewanu Ram house to Circuit House (5-63-14)
4.	Ridge Narkanda	East – Shamshan Ghat West – Ajay Kainthla Building North – Agma Hotel South – NP shopping complex Shamshan Ghat near Circuit house to Ajay Kainthla House (1-51-84)
5.	Purana Bazaar	East- Mast Ram House old building West- Mast Ram House new building North- Ice Skating Ring South- Sudarshan Sharma Building Sudarshan House to Ice Skating Ring(2-15-0).
6.	Lal Kothi	East- N.P. Building West-Lal Kothi North- Dhomli South- Nag Mandir Nag Mandir to Dhomri(10-84-24).
7.	Maila Maidan	East- Hotel Sara West- Maneshwar Devta Temple North- Dhomli South-Tibtian colony Thuptan Colony to Dhomri (3-00-00).

CHANGE OF NAME

I, Jog Ram (New Name) s/o Sh. Bhag Chand, r/o Vill. Khadrwas, Tehsil Churah, Jasaur Garh (509), Chamba (H.P.)-176 321 declare that I have changed my name from Yog Ram (Old Name) to Jog Ram (New Name). All concerned please may note.

JOG RAM
s/o Sh. Bhag Chand,
r/o Vill. Khadrwas,
Tehsil Churah, Jasaur Garh (509),
Chamba (H.P.)-176 321.

CHANGE OF NAME

I, Hameed s/o Sh. Roshan Deen, r/o Silana-I (112), Kotkahi, Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Zaveen to Zubeen. Henceforth, he shall be known as Zubeen for all official and legal purposes.

HAMEED
s/o Sh. Roshan Deen,
r/o Silana-I (112), Kotkahi,
Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anita Kumari w/o Sh. Manjeet Singh, r/o Village Daughun, P.O. Majhog Sultani, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that my name is wrongly recorded as Anita in my son's Akshay matriculation & 12th certificates. Whereas my correct name is Anita Kumari. All concern note.

ANITA KUMARI
w/o Sh. Manjeet Singh,
r/o Village Daughun, P.O. Majhog Sultani,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Padhi Ram aged 70 years s/o Sh. Vikhnu Ram, r/o Village & P.O. Dole, Tehsil Jawali, Distt. Kangra (H.P.) declare that my original name is Padhi Ram s/o Sh. Vikhnu Ram, whereas, wrongly entered/mentioned as Pandi Ram s/o Sh. Vikhnu Ram in the Aadhar Card. Please correct it.

PADHI RAM
s/o Sh. Vikhnu Ram,
r/o Village & P.O. Dole,
Tehsil Jawali, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Ali Sain s/o Sh. Hasham Deen, r/o Village Sukrethi, P.O. Sillagharat, Tehsil Saho, Distt. Chamba (H.P.) declare that as per birth certificate of my minor son, his correct name is Rahmat Ali. Whereas in his Aadhar Card, his name is wrongly emtered as Murad Ali. His name should be entered as Rahmat Ali instead of Murad Ali in his Aadhar Card. All concerned please note.

ALI SAIN
s/o Sh. Hasham Deen,
r/o Village Sukrethi, P.O. Sillagharat,
Tehsil Saho, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sarvesh Kumar s/o Sh. Inderpal Singh, r/o V.P.O. Tauni Devi, Tehsil Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Swami Sarveshwara Nand s/o Sh. Swami Nigmanand to Sarvesh Kumar s/o Sh. Inderpal Singh. I shall be known as Sarvesh Kumar s/o Sh. Inderpal Singh for all purposes in future. All concerned please note.

SARVESH KUMAR
s/o Sh. Inderpal Singh,
r/o V.P.O. Tauni Devi,
Tehsil Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jarmo s/o Sh. Sikhnu, Village Thalla, P.O. Rajera, Tehsil Chamba, Distt. Chamba (H.P.) declare that I want to change my name from Jaram Singh to Jarmo in my Aadhar Card No. 3699 4589 7966. All concerned please note.

JARMO
s/o Sh. Sikhnu,
Village Thalla, P.O. Rajera,
Tehsil Chamba, Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Giayatri Devi w/o Sh. Dhanu Ram, r/o Village Bajol, P.O. Bajoul, Sub-Tehsil Holi, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 8688 7554 6681, my name is wrongly entered as Gayatri Devi. Whereas, my correct name is Giayatri Devi. I shall be known as Giayatri Devi for all purposes in future. All concerned please note.

GIAYATRI DEVI
w/o Sh. Dhanu Ram,
r/o Village Bajol, P.O. Bajoul,
Sub-Tehsil Holi, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vijay Kumar s/o Sh. Surrender, r/o Village Dhar Baghera (118), P.O. Rarughati, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from "Baby one of Urmila" to "Aarushi Chauhan". Please note all concerned for further.

VIJAY KUMAR
s/o Sh. Surrender,
r/o Village Dhar Baghera (118),
P.O. Rarughati, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Seema Devi w/o Sh. Sita Ram, r/o Village Nanaha, Darbhog (202), P.O. Mundghat, Teh. & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from "Seema Devi" to "Seema Thakur" and need to correct in Aadhar Card. Please note all concerned for further.

SEEMA DEVI
w/o Sh. Sita Ram,
r/o Village Nanaha, Darbhog (202),
P.O. Mundghat, Teh. & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vishnu Ram s/o Sh. Lauhru Ram, r/o Village Badehr, P.O. Badehr, Teh. Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Bishan Ram to Vishnu Ram. I shall be known as Vishnu Ram for all purposes in future. All concerned please note.

VISHNU RAM
s/o Sh. Lauhru Ram,
r/o Village Badehr, P.O. Badehr,
Teh. Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Piyungla Devi aged 68 years w/o Sh. Pramodh Singh, r/o Village Dehri, P.O. Harsar, Teh. Jawali, District Kangra (H.P.) declare that my original name is Piyungla Devi w/o Sh. Pramodh Singh, whereas, wrongly entered/mentioned as Pungila w/o Sh. Pramodh Singh in the Aadhar Card. Please correct it.

PIYUNGLA DEVI
w/o Sh. Pramodh Singh,
r/o Village Dehri, P.O. Harsar,
Teh. Jawali, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Prakasho s/o Sh. Siboram, r/o Village Saar, P.O. Sarahan, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.) declare that in Aadhar Card of my minor daughter having number 6824 6277 4226, her name is wrongly entered as Narmta. Whereas, her correct name is Namrata. All concerned please note.

PRAKASHO
s/o Sh. Siboram,
r/o Village Saar, P.O. Sarahan,
Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gopal Chand s/o Sh. Sunder Ram, r/o Village Tihra, P.O. Badgaon, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I have change my minor daughter's name from Aaditi Sharma to Aditi Gautam for all purposes in future. All concerned note it.

GOPAL CHAND
s/o Sh. Sunder Ram,
r/o Village Tihra, P.O. Badgaon,
Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Chanda Kumari w/o Sh. Hari Singh Chhapoun, P.O. Dudar, Tehsil Sadar, Dudar (345), Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 6691 6874 8695 my name as Chandra Devi is wrongly entered whereas, correct name is Chanda Kumari. All concerned note it.

CHANDA KUMARI
w/o Sh. Hari Singh Chhapoun,
P.O. Dudar, Tehsil Sadar,
Dudar (345), Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Parwati (New Name) w/o Sh. Ram Kumar, r/o Village Bhawana (138), P.O. Purag, District Shimla (H.P.)-171 202 do hereby declare that I have changed my name from Parbati (Old Name) to Parwati (New Name) for all future purposes. Henceforth, I shall be known and addressed by my new name, Parwati (New Name).

PARWATI
w/o Sh. Ram Kumar,
r/o Village Bhawana (138), P.O. Purag,
District Shimla (H.P.)-171 202.

CHANGE OF NAME

I, Ashwani Kumar s/o Sh. Chain Singh, r/o Village Padli (68), P.O. Chhausha, Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Vanish Thakur to Vansh Thakur. All concerned please note for future.

ASHWANI KUMAR
s/o Sh. Chain Singh,
r/o Village Padli (68), P.O. Chhausha,
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Santi w/o Sh. Sant, r/o Village Chilli, P.O. Thali, Tehsil Churah, District Chamba (H.P.) declare that I have changed my name from Jamnu to Santi. I shall be known as Santi for all purposes in future. All concerned please may note.

SANTI
w/o Sh. Sant,
r/o Village Chilli, P.O. Thali,
Tehsil Churah, District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Biasan Devi w/o Sh. Rasil Singh, r/o Village Samlog, P.O. Dhirwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Biasa Devi to Biasan Devi. I shall be known as Biasan Devi for all purposes in future. All concerned please may note.

BIASAN DEVI
w/o Sh. Rasil Singh,
r/o Village Samlog, P.O. Dhirwin,
Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Vijay Kumar aged 45 years s/o Sh. Khushi Ram, r/o Village & P.O. Jhonka Ratial, Tehsil Jawali, District Kangra (H.P.) declare that original name of my son is Saksham Bhatia s/o Sh. Khushi Ram whereas wrongly entered/mentioned as Saksham Bhatia s/o Sh. Vijay Kumar in the Aadhar Card. Please correct it.

VIJAY KUMAR
s/o Sh. Khushi Ram,
r/o Village & P.O. Jhonka Ratial,
Tehsil Jawali, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Gopala s/o Sh. Budhi Ram, r/o Village Ichwas, P.O. Killar, Tehsil Pangi, District Chamba (H.P.) declare that in Aadhar card of my minor son having number 3672 6039 3475 his name is wrongly entered as Shubham. Whereas his correct name is Shivam. All concerned please note.

GOPALA
s/o Sh. Budhi Ram,
r/o Village Ichwas, P.O. Killar,
Tehsil Pangi, District Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Malu Ram s/o Late Sh. Sandhu Ram, r/o Village Avery, P.O. Nogli, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) declare that I hold a Permanent Account Number (PAN) ATNPR1607G. My name on my PAN card is Malu Raj and my father's name is incorrectly listed as Sadhu Ram. While the correct name is Malu Ram, my father's name is Late Sandhu Ram, which appears on my Aadhar Card and other official documents. Correct Malu Ram, son of Late Sandhu Ram.

MALU RAM
*s/o Late Sh. Sandhu Ram,
r/o Village Avery, P.O. Nogli,
Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Resi w/o Sh. Roop Singh, r/o Village Luharog, P.O. Jungra, Tehsil Churah, District Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar card bearing number 4585 4182 5131 my name is wrongly entered as Reso. Whereas my correct name is Resi. I shall be known as Resi for all purposes in future. All concerned please note.

RESI
*w/o Sh. Roop Singh,
r/o Village Luharog, P.O. Jungra,
Tehsil Churah, District Chamba (H.P.).*
